कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर, स्थित ढली शिमला–171012 के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2012 से 31.03.2013

भाग–एक

1 प्रारम्भिक :–

(क) कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर, स्थित ढली शिमला–12 के अवधि 01.04.12 से 31.03.13 के लेखाओं का अंकेक्षण, हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 48(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्या 1–487/99–फिन(एल0ए0)खण्ड–1–554, दिनांक 20.01.2000 की अनुपालना में स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा पूर्वांकेक्षण के आधार पर किया गया।

लेखा परीक्षा अवधि के दौरान मण्डी समिति के शिमला कार्यालय में निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत रहेः–

क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम व पदनाम	अवधि
1.	श्री ज्ञान सिंह चन्देल, अध्यक्ष	01.04.12 से 28.12.2012
2.	जिलाधीश, जिला शिमला, हि0 प्र0	29.12.2012 से 31.03.2013
2.	श्री अनिल चौहान ,सचिव	01.04.2012 से 31.03.2013

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर, स्थित ढली शिमला–12 के अवधि 01.04.12 से 31.03.13 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	विवरण	₹(लाखों में)
1	6	अग्रिम राशि का समायोजन न करना	4.27
2	7	दुकानों के किराए के रूप में राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	31.13
3	10	लाईसैन्सधारी व्यापारियों से देय मण्डी शुल्क से कम शुल्क की वसूली किए	0.48

		जाने के फलस्वरूप मण्डी समिति को राशि की सम्भावित हानि होना	
4	13	नाका चौकी शोघी, कुडडु तथा नेरीपुल में गैर लाईसैन्सधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की राशि की कम वसूली के कारण मण्डी समिति को सम्भावित हानि होना	0.14
5	15	कम्पाऊंड शुल्क की वसूली करते हुए रसीद बुकों में वस्तु का नाम, प्रमात्रा व मूल्य दर्शाए बिना वसूली करना	1.37
6	17	नाकाचौकी, शोघी से प्राप्त आय की राशि में से बैंक में कम राशि जमा करवाना	0.12
7	20	आय की राशि के अनाद्रित चैकों की वसूली न करना	0.99
8	22 (क)	रोकड़ बही में आय की राशि की प्रविष्टियाँ न करना	19.19
9	22 (ग)	रोकड़ वही में खर्चों का ईन्द्राज न करना	12.10
10	22 (घ)	रौकड़ वही में राशि का दो बार ईन्द्राज करना	2.62
11	21	उप समिति कोटी में दुकानों के किराये से सम्बन्धित राशि की वसूली न होने के कारण मण्डी समिति को हुई हानि के बारे में	3.11
12	27	डिपोजिट कार्यों हेतु जमा करवाई गई राशि के उपयोगित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	154.24
13	28	भत्तों एवम वेतन वृद्धि के रूप में राशि का अनियमित भुगतान करना	0.35
14	8	लाईसैन्सधारियों द्वारा व्यापार शून्य दर्शाना	विवरण पैरे में दिया गया है
15	9	मण्डी शुल्क की वसूली न करने के कारण मण्डी समिति को आय की हानि के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में हानि होना	विवरण पैरे में दिया गया है
16	11	विभिन्न व्यापारियों द्वारा कई–कई महीनों का मण्डी शुल्क एक साथ जमा करने के फलस्वरूप मण्डी समिति को ब्याज के रूप में लाखों रूपये की सम्भावित हानि होना	विवरण पैरे में दिया गया है
17	12	विभिन्न व्यापारियों से मण्डी शुल्क देय तिथि पर वसूलने की अपेक्षा अत्यन्त विलम्ब से वसूलने के कारण मण्डी समिति को ब्याज के रूप में लाखों रूपयों की सम्भावित हानि होना	विवरण पैरे में दिया गया है

(ग) आय व व्यय के स्त्रोत के बारे में:-

(i) मण्डी समिति की आय के मुख्य स्त्रोत निम्न प्रकार से है :–

(1) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 44 व हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम, 2006 के नियम 35 के अन्तर्गत मण्डी समिति के लाईसैन्सधारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क तथा धारा 75 के अन्तर्गत गैर लाईसैन्सधारी व्यापारियों से जुर्माना शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(2) मण्डी समिति द्वारा निर्मित दुकानों, गोदामों, विश्राम गृहों तथा भवनों से किराए के रूप में प्राप्त आय तथा मण्डी समिति द्वारा स्थापित धर्मकांटे पर तुलाई शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(3) मण्डी समिति के विभिन्न फार्मों के विक्रय से प्राप्त आय।

(4) मण्डी समिति द्वारा विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना तथा बचत खातों में निवेश की गई राशियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय।

(5) मण्डी समिति, ढली एवम फल मण्डी भटठाकुफर के मुख्य द्वार के प्रवेश पर ट्रकों व अन्य वाहनों से प्रवेश शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(6) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एंव विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 40(3) के अन्तर्गत कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों से पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त आय।

(7) अन्य आय।

(ii) मण्डी समिति द्वारा सामान्यतः निम्नलिखित मदों पर व्यय किया जाता है:–

(1) मानदेय, वेतन, मजदूरी तथा अन्य विभिन्न भत्तों पर व्यय तथा कार्यालय व्यय।

(2) कार्यालय मशीनरी व उनकी मुरम्मत इत्यादि पर व्यय।

(3) मण्डी समिति के वाहन के पैट्रोल व मुरम्मत इत्यादि पर व्यय।

(4) डिपोज़िट कार्य के विरूद्ध करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों व रज्जू मार्ग के निर्माण में संलिप्त व्यय।

(5) कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों पर व्यय।

(6) हिमाचल प्रदेश सरकार को अंकेक्षण सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के एवज़ में देय अंकेक्षण शुल्क से सम्बन्धित व्यय।

(7) कर्मचारियों को प्रशिक्षण, अन्य प्रशिक्षण शिविरों व विज्ञापनों पर व्यय।

(8) हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 49(3) के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति के अधिनियम की धारा 44 के अन्तर्गत एकत्रित मण्डी शुल्क का 25 प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि उपज विपणन बोर्ड को देने में सलिप्त व्यय।

(9) कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा यात्रा/दैनिक भत्ते आदि पर व्यय।

(10) अन्य व्यय।

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

कृषि उपज मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12 के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों/अधियाचनाओं का सार भाग 3 व 4 में दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

(क) कृषि उपज समिति शिमला एवं किन्नौर स्थित ढली, शिमला–12 के अवधि 01.04.2012 से 31.03.2013 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण श्रीमती मीरा गौतम, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) तथा श्री श्रवण कुमार, लेखा परीक्षक द्वारा पूर्वांकेक्षण प्रणाली के आधार पर कृषि उपज मण्डी समिति के ढली स्थित मुख्यालय में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाए गए हैं।

(ख) मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर ढली, शिमला–12 द्वारा निम्नलिखित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(1) उप मण्डी नेरवा में वर्ष 2005–06 में आबंटित की गई दुकानों की प्राप्त प्रतिभूति राशि का रजिस्टर ।

(2) चल एवं अचल सम्पति रजिस्टर।

(3) ब्याज खाता रजिस्टर।

(4) प्रगतिशील कार्य रजिस्टर।

(5) मण्डी समिति की वर्ष 2012—13 की वित्तीय स्थिति ।

(6) माहवार समस्त बैकों की बैंक समाधान विवरणिकाऐं।

(7) वर्ष 2012—13 में लाईसैंस धारी व्यापारियों की सूची।

(8) वाहन संख्या एच0पी0 52 ए—0511 की लॉग बुक।

3 लेखा परीक्षा शुल्क :—

वर्ष 2012—13 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹1374041/—आंका गया। कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि चैक संख्या 705243 दिनांक 30.09.2013 द्वारा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—09 के मुख्यालय को प्रेषित की जा चुकी है।

4 वार्षिक लेखों, वितीय स्थिति तथा सावधिक जमा योजना में निवेशित राशियों के बारे में:-

(क) वर्ष 2012—13 के वार्षिक लेखे :—

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा वर्ष 2012—13 के वार्षिक लेखे मै0 डी0 वी0 चावला एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाऊंटैंट से तैयार करवाए गए हैं तथा उक्त लेखों की सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति शिमला व किन्नौर द्वारा जारी प्रति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ यथा **अनुलग्नक ''ए''** पर संलग्न है। इन लेखों की अंकेक्षण द्वारा विधिवत संविक्षा के उपरान्त पाया गया कि चार्टड अकाऊॅटैंट द्वारा तैयार किए गए लेखों की अधिकतर मदों में दिनांक 31.03.2013 के शेषों के आंकड़ों में कार्यालय अभिलेख अनुसार भिन्नताएं पाई गई हैं। इन लेखों को समीक्षा उपरान्त इन्हें मण्डी समिति कार्यालय को अंकेक्षण के पत्र संख्या 250 दिनांक 19.12.2013 द्वारा जारी किया गया था लेकिन मण्डी समिति द्वारा चार्टड अकाऊंटैंट से इन आंकड़ों में भिन्नताओं के संशोधनोपरान्त वार्षिक लेखे अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए हैं। मण्डी समिति के वर्ष 2012—13 के वार्षिक लेखों पर अंकेक्षण की मदवार विविक्षा टिप्पाणियाँ इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ यथा **अनुलग्नक ''बी''** पर संलग्न है।

(ख) मण्डी समिति की वर्ष 2012–13 की वित्तीय स्थिति :–

अंकेक्षण द्वारा मण्डी समिति कार्यालय से अंकेक्षण पत्र संख्या 102 दिनांक 27.05.2013, 116 दिनांक 04.06.2013 तथा स्मरण पत्र संख्या 202, दिनांक 5.10.2013 के अर्न्तगत मण्डी समिति की वर्ष 2012–13 की वित्तीय स्थिति अंकेक्षण को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ताकि इसे सत्यापनोंपरान्त तदानुसार रिपोर्ट में समाविष्ट किया जा सके परन्तु मण्डी समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक वित्तीय स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई, जिस कारण उक्त वित्तीय स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न नहीं की जा सकी।

(ग) निवेश :–

मण्डी समिति द्वारा दिनांक 31.03.2013 तक **परिशिष्ट ''क''** के अनुसार ₹31,60,12,419/– विभिन्न बैंकों में सावधिक जमा योजना के अर्न्तगत निवेश की गई है।

5 सहायता अनुदान :–

अंकेक्षण द्वारा पत्र संख्या 102, दिनांक 27.05.2013, पत्र संख्या 116 दिनांक 04.06. 2013 तथा स्मरण पत्र संख्या 202, दिनांक 05.10.2013 के अर्न्तगत मण्डी समिति कार्यालय से सहायता अनुदान के सन्दर्भ में अपेक्षित सूचनाऐं अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में मण्डी समिति कार्यालय द्वारा उनके पत्र संख्याः ए0पी0एम0सी0/एस0एम0एल–2799 दिनांक 12.11.2013 द्वारा यह सूचित किया है कि इस वितीय वर्ष में केन्द्रीय सहायता अनुदान प्राप्त नही हुआ है।

6 अग्रिम ₹4,27,801/– का समायोजन न करना :–

(क) मण्डी समिति शिमला व किन्नौर स्थित ढली शिमला–12 के अग्रिम रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा अपने विभिन्न कार्यालयों को विभिन्न उदेश्यों हेतु अग्रिम राशियाँ प्रदान की गई थी तथा इन कर्मचारियों के नाम निम्न विवरणानुसार अग्रिम राशियां असमायोजित पड़ी थी, परन्तु वित्तीय वर्ष 2012–13 की समाप्ति तक इन अग्रिम राशियों का समायोजन नहीं किया गया है। अतः इन समस्त अग्रिम राशियों का समायोजन शीघ्रातिशीघ्र करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	अग्रिम बिल सं0	दिनांक	राशि
1.	श्री शक्त राम कश्यप	337	02.02.2001	35000
		57	04.05.2001	4000
2.	श्री हेम राज ठाकुर	357	17.03.2009	1000
		165	23.07.2012	100000
3.	श्री तेज राम कश्यप	258	20.11.2010	100000
		65	09.06.2010	10000
4.	श्री परस राम वर्मा	294	09.10.2012	10000
		525	22.02.2013	10000
5.	प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम, खलीनी	409	13.12.2012	149301
6.	श्री टेक राम, ड्राईवर	349	19.11.2012	2000
		587	29.03.2013	1500
7.	श्री रमेश शर्मा	574	22.03.2013	5000
			कुल योग	**427801**

(ख) मण्डी समिति के विभिन्न कर्मचारियों के नाम में असमायोजित अग्रिम राशि के विगत वर्षों के आंकड़े निम्नानुसार है :–

क्र0 संख्या	वर्ष	कर्मचारियों के नाम असमायोजित कुल राशि (₹)
1	2002–03	11,10,768
2	2003–04	9,71,986
3	2004–05	9,04,560
4	2005–06	7,37,170
5	2006–07	7,39,670
6	2007–08	2,93,160
7	2008–09	1,31,500
8	2009–10	84,000
9.	2010–11	1,94,000
10.	2011–12	3,52,000
11.	2012–13	4,27,801

इस प्रकार उक्त विवरण से स्पष्ट है कि अग्रिम राशियों में से कुछ अग्रिम राशियां कई वर्षो से असमायोजित है। अतः बोर्ड के प्राधिकारियों द्वारा इन के समायोजन हेतु ठोस पग उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि इन का समय पर समायोजन सम्भव हो सके।

7 दुकानों के किराए के रूप में ₹3113306 /— का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

कृषि उपज मण्डी समिति के दुकानों से सम्बन्धित किराया रजिस्टर व अन्य अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट ''ख''** के अनुसार विभिन्न आबंटियों से दिनांक 31.03.2013 को किराए की ₹3113306/— की वसूली योग्य शेष थी। अंकेक्षण द्वारा लम्बित किराए की वसूली के सन्दर्भ में प्रकरण कृषि उपज मण्डी समिति कार्यालय से वर्ष 2000—01 से वर्ष 2011—12 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में लगातार उठाया जा रहा है, किन्तु इस सन्दर्भ में कुछ विशेष सकारात्मक प्रगति नहीं हो पाई है उपरोक्त शेष किराए की वसूली के अतिरिक्त आगामी वर्षों में भी सभी दुकानों के आबंटियो से निर्धारित शर्तों के अनुसार समय पर किराए की वसूली सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है। अतः नियमों/अधिनियमों के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत चूककर्त्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए उचित कार्रवाई की जाए ताकि मण्डी समिति को कथित राशियों पर प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में हो रही अप्रत्यक्ष हानि से भी बचा जा सके।

8. लाईसैन्सधारियों द्वारा व्यापार शून्य दर्शाना :—

परिशिष्ट ''ग''—(i) में वर्णित व्यापारियों की नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि इन व्यापारियों द्वारा उनके नाम के विरूद्ध दर्शाई गई अवधियों में व्यापार शून्य दर्शाया है जैसा कि इन व्यापारियों से सम्बधित 'ओ' फार्म के अवलोकन से विदित होता है। इस प्रकरण में मण्डी समिति के किसी भी प्राधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस आशय की पुष्टि नहीं की गई है कि इस अवधि में 'शून्य' दर्शाया गया व्यापार वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं अथवा नहीं जिस से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आय एकत्रीकरण पर किसी प्रभावशाली नियन्त्रण एवम पर्यवेक्षण के स्थान पर व्यापारियों द्वारा 'ओ' फार्म में की गई घोषणा के आधार पर ही मण्डी शुल्क वसूला जा रहा है, जोकि एक उचित प्रक्रिया नहीं है। अतः सुझाव दिया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में नीति निर्धारित करके समय रहते वास्तविकता की पुष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए व सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा मण्डी शुल्क को जमा करने

हेतू टाल–मटोल करने तथा नियमों/विनियमों की उल्लंघना करने की परिस्थिति में नियमों/अधिनियमों में प्रावधित व्यवस्था के अनुसार दण्ड सहित मण्डी शुल्क की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। यह प्रकरण प्रबन्धक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला, 171002 के विशेष ध्यानार्थ भी उचित कारवाई हेतु लाया जाता है क्योंकि इस प्रकार के सपरीक्षा सुझाव गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में शामिल करने के उपरांत भी इन प्रकरणों में आज दिन तक कोई कारवाई/अनुपालना नहीं की गई है जो स्वतः ही विपणन समिति के हित में नहीं है।

9. मण्डी शुल्क की वसूली न करने के कारण मण्डी समिति को आय की हानि के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में हानि होने के बारे में :–

मण्डी समिति की वर्ष 2012–13 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट** ''ग'' **(ii)** में दर्शाये गए व्यापारी जोकि मण्डी समिति के लाईसैंस धारक है, से उनके नामों के विरूद्ध दर्शाई गई अवधियों में कोई मण्डी शुल्क वसूल नहीं किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 45(2) एवं हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज विपणन (साधारण) नियम 2005 के नियम 35 के अर्न्तगत सभी लाईसैंस धारकों द्वारा प्रतिदिन क्रय–विक्रय के सम्बन्ध मे ''ओ'' फार्म प्रस्तुत करना तथा 14 दिनों के भीतर ही मण्डी शुल्क अदा करना अनिवार्य है। इन प्रकरणों में मण्डी शुल्क की वसूली समय पर न किए जाने के कारण मण्डी समिति को प्राप्त योग्य आय की हानि के अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप में प्राप्त योग्य ब्याज की भी हानि हुई है। पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2008–09 व 2009–10 में ऐसे प्रकरणों की संख्या में कमी आई थी परन्तु वर्ष 2010–11, 2011–12 व 2012–13 में ऐसे प्रकरणों की संख्या में पुनः वृद्धि हुई है। अतः इस सन्दर्भ में मण्डी शुल्क की वसूली उपरोक्त अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जानी सुनिश्चित की जाए जिससे एक ओर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की अनुपालना हो सके वहीं दूसरी ओर मण्डी समिति को समय पर मण्डी शुल्क की वसूली न होने से मण्डी शुल्क की आय की हानि एवं उस पर प्राप्त योग्य ब्याज की हानि से बचा सके।

10. **लाईसैंसधारी व्यापारियों से देय मण्डी शुल्क से कम शुल्क की वसूली किए जाने के फलस्वरूप मण्डी समिति को ₹48022/–की सम्भावित हानि होने के बारे में:–**

मण्डी समिति के व्यापारियों की नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट ''ग''(iii)** में दर्शाए गए कुछ व्यापारियों के नामों के विरूद्ध दर्शाई गई अवधियों में मण्डी शुल्क देय शुल्क से कम वसूला गया है। इस बारे में अकेंक्षण अधियाचना संख्या 529 दिनॉक 21.08.2012, 589 दिनॉक 09.11.2012, व 141 दिनॉक 04.07.2013 द्वारा मण्डी समिति कार्यालय को अवगत करवाया गया था परन्तु मण्डी समिति कार्यालय द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे प्रकरणों में मण्डी शुल्क की वसूली देय शुल्क की राशि से ₹41,448/– कम जमा किए जाने के कारण जहाँ एक ओर मण्डी समिति को प्राप्त योग्य आय की हानि हुई है, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से उस राशि पर प्राप्त योग्य ब्याज की भी हानि हुई है। अतः ऐसे प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाए जाते हैं कि लाईसैंसधारी व्यापारियों से मण्डी समिति अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मण्डी शुल्क की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए जिससे अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की अनुपालना के साथ–साथ मण्डी समिति को मण्डी शुल्क की पूर्ण वसूली होने के साथ–साथ उस पर प्राप्त योग्य ब्याज की हानि से बचा जा सके।

11 **विभिन्न व्यापारियों द्वारा कई–कई महीनों का मण्डी शुल्क एक साथ जमा करने के फलस्वरूप मण्डी समिति को ब्याज के रूप में लाखों रूपये की सम्भावित हानि होने के बारे में:–**

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (साधारण) नियम, 2006 के नियम 35 के अनुसार मण्डी समिति के सभी पंजीकृत व्यापारियों द्वारा क्रय–विक्रय के सन्दर्भ में प्रतिदिन ओ' फार्म प्रस्तुत करना तथा तदानुसार 14 दिनों के भीतर ही मण्डी शुल्क जमा करवाया जाना अपेक्षित है किन्तु मण्डी समिति द्वारा पंजीकृत व्यापारियों की सम्बन्धित नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी शुल्क की वसूली उपरोक्त नियमानुसार होने की अपेक्षा अत्यन्त विलम्ब से की जा रही है। पंजीकृत व्यापारियों द्वारा कई –कई महीनों का मण्डी शुल्क एक साथ जमा करवाया गया है, जैसा कि **परिशिष्ट ''ग'' (iv)** पर दिए गए विवरण से भी स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार इन व्यापारियों से लाखों रुपये कई–कई महीनों

तक वसूली हेतु शेष रहते हैं जिस कारण मण्डी समिति को प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में लाखों रुपयों की अप्रत्याशित हानि हो रही है क्योंकि यदि उक्त मण्डी शुल्क समय पर वसूला गया होता तो संलिप्त राशियों पर बैंक से ब्याज के रूप में मण्डी समिति को लाखों रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई होती। अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि विलम्ब से मण्डी शुल्क जमा करने की परिस्थिति में सम्बन्धित व्यापारियों से नियमों/अधिनियमों के प्रावधानानुसार दण्ड सहित वसूला जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

12. विभिन्न व्यापारियों से मण्डी शुल्क देय तिथि पर वसूलने की अपेक्षा अत्यन्त विलम्ब से वसूलने के कारण मण्डी समिति को ब्याज के रूप में लाखों रुपयों की सम्भावित हानि होने के बारे में :–

मण्डी समिति द्वारा पंजीकृत व्यापारियों की सम्बन्धित नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा मण्डी शुल्क की वसूली नियमानुसार करने की अपेक्षा अत्यन्त विलम्ब से की जा रही है जैसा कि **परिशिष्ट ''ग''(v)** में दिए गए विवरण से भी स्पष्ट होता है। इस परिशिष्ट से स्वतः ही स्पष्ट होता है कि मण्डी शुल्क की वसूली व्यापारियों से भी 6 माह से अधिक समय के पश्चात की गई है। इस प्रकार प्रत्येक व्यापारी से लाखों रुपये कई–कई महीनों तक वसूली योग्य शेष होने के कारण मण्डी समिति को उपरोक्त राशि पर प्राप्त योग्य ब्याज के रूप में अप्रत्याशित हानि हुई है, क्योंकि यदि मण्डी शुल्क समय पर वसूला गया होता तो संलिप्त राशियों पर बैंक से ब्याज के रूप में मण्डी समिति को लाखों रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती थी। इस प्रकार की अनियमितताओं के प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ वर्ष 2001–02 से 2011–12 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अन्तर्गत लगातार लाए जा रहे है किन्तु इस सन्दर्भ में कोई सार्थक परिणाम न होने के कारण यह प्रकरण पुनः मण्डी समिति के ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि मण्डी शुल्क की वसूली समय पर करनी सुनिश्चित की जाए तथा विलम्ब की स्थिति में समस्त संलिप्त मामलों में यथा प्रावधानानुसार दण्ड सहित मण्डी शुल्क की वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथाशीघ्र अंकेक्षण को अवगत किया जाए व भविष्य हेतु इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति से निश्चित तौर पर परिहार किया जाए।

13. नाका चौकी शोघी, कुडडू तथा नेरीपुल में गैर लाईसैंस धारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की ₹14141/– की कम वसूली के कारण मण्डी समिति को सम्भावित हानि होने के बारे में:–

मण्डी समिति द्वारा स्थापित नाका चौकी शोघी, कुडडू तथा नेरीपुल की अवधि 01.04.2012 से 31.03.2013 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि इन नाका चौकियों में गैर लाईसैंसधारी व्यापारियों से कम्पाऊंड शुल्क की वसूली हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योनिकी उपज विपणन (विकास एवं विनियम) अधिनियम 2005 की धारा 75 व इस सन्दर्भ में मण्डी समिति द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप न करने के कारण यथा विवरण **परिशिष्ट ''घ''** के अनुसार कम्पाऊंड शुल्क की राशि क्रमश : ₹13,663/–, ₹340/– तथा ₹138/– अर्थात कुल ₹14,141/– की कम वसूली के कारण मण्डी समिति को निश्चित तौर पर हानि हुई है जिसकी भरपाई सम्बन्धित व्यापारियों अथवा उत्तरदायी कर्मचारियों से की जानी अपेक्षित है। ऐसे प्रकरण अंकेक्षण द्वारा वर्ष 2001–02 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों से लेकर वर्ष 2011–12 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अन्तर्गत लगातार मण्डी समिति के ध्यानार्थ लाए जा रहे है, लेकिन इस सन्दर्भ में वर्ष 2003–04 तथा वर्ष 2008–09 के दौरान तो कुछ सुधार तो हुआ था परन्तु वर्ष 2006–07, 2009–10, 2010–2011 तथा वर्ष 2011–12 में ऐसे प्रकरणों में निरन्तर वृद्धि हुई है तथा वर्ष 2012–2013 में पुनः कमी आई है जिससे यह प्रतीत होता है कि मण्डी समिति द्वारा इस प्रकार की हानि/दुर्विनियोजन पर अंकुश लगाने तथा मण्डी समिति को हानि से रोकने हेतु गम्भीर नहीं है।

विगत वर्षों में मण्डी समिति को हुई इस प्रकार हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

क्रम संख्या	अवधि जिसमें कम्पाऊंड शुल्क वसूला गया	कम वसूला गया कम्पाऊंड शुल्क
1	01.04.2001 से 31.03.2002	10,21,801
2	01.04.2002 से 31.03.2003	1,33,618
3	01.04.2003 से 31.03.2004	3,186
4	01.04.2004 से 31.03.2005	15,680
5	01.04.2005 से 31.03.2006	21,310
6	01.04.2006 से 31.03.2007	2,65,376

7	01.04.2007 से 31.03.2008	63,278
8	01.04.2008 से 31.03.2009	2,346
9	01.04.2009 से 31.03.2010	51,706
10	01.04.2010 से 31.03.2011	53,963
11.	01.04.2011 से 31.03.2012	1,23,241
12.	01.04.2012 से 31.03.2013	14,141

14. **(i)** कृषि उपज मण्डी समिति शिमला व किन्नौर स्थित ढली, शिमला में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या के बारे में:–

कृषि उपज मण्डी समिति शिमला का कार्यक्षेत्र प्रदेश के दो जिलों अर्थात जिला शिमला व जिला किन्नौर है, परन्तु इस समिति से पंजीकृत कृषि उपज से जुड़े इन दो जिलों के व्यापारियों की संख्या सन्तोषजनक नहीं है, जैसा कि निम्न तालिका के अवलोकन से भी विदित होता है :–

क्रम संख्या	अवधि	कृषि उपज से जुड़े उन व्यापारियों की संख्या जो कृषि उपज मण्डी समिति शिमला व किन्नौर से पंजीकृत हैं।
1	मण्डी समिति के अस्तित्व में आने से 31.03.2001	629
2	01.04.2001 से 31.03.2002	539
3	01.04.2002 से 31.03.2003	682
4	01.04.2003 से 31.03.2004	637
5	01.04.2004 से 31.03.2005	716
6	01.04.2005 से 31.03.2006	637
7	01.04.2006 से 31.03.2007	599
8	01.04.2007 से 31.03.2008	511
9	01.04.2008 से 31.03.2009	478
10	01.04.2009 से 31.03.2010	504

11.	01.04.2010 से 31.03.2011	630
12.	01.04.2011 से 31.03.2012	704
13.	01.04.2012 से 31.03.2013	678

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर कार्यालय कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों के पंजीकरण के सन्दर्भ में गम्भीर नहीं है क्योंकि यदि किसी वर्ष मण्डी समिति से पंजीकृत कृषि उपज से जुड़े व्यापारियों की संख्या में वृद्धि दर्ज हुई है तो आगामी वर्ष में इस संख्या में कमी भी आई है, जैसे कि वर्ष 2008–09 में इस संख्या में बाकी वर्षों की तुलना में कमी आई है। अंकेक्षण द्वारा यह प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों द्वारा भी लाया जाता रहा है। अतः इस सन्दर्भ में विपणन बोर्ड एवम् विपणन समिति प्राधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने की नितान्त आवश्यकता है, ताकि इस सन्दर्भ में सार्थक प्रगति होने के फलस्वरूप मण्डी समिति की आय में बढौतरी सुनिश्चित की जा सके।

(ii) मण्डी समिति के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा ओ' फार्म न भरना :–

मण्डी समिति के पंजीकृत व्यापारियों की नस्तियों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न तालिका के अनुसार विगत 12 वर्षों में ओ' फार्म प्रस्तुत न करने की प्रतिशतता में निरन्तर बढोतरी हो रही है। वर्ष 2011–2012 व 2012–2013 में यह प्रतिशतता लगभग 50% के ही करीब है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 में भी पंजीकृत लाईसैंसधारी व्यापारियों द्वारा क्रय व विक्रय के सम्बन्ध में ओ' फार्म प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा ओ' फार्म प्रस्तुत न करने के कारण मण्डी समिति को मण्डी शुल्क की वसूली न होने के कारण अत्याधिक आय की हानि हो रही है। अतः इस सन्दर्भ में विपणन बोर्ड एवम् विपणन समिति प्राधिकारियों द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

क्रम संख्या	अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि	वर्ष वार मण्डी समिति के पंजीकृत लाईसैंसधारी व्यापारियों की संख्या	ओ फार्म प्रस्तुत न करने वाले पंजीकृत लाईसैंसधारी व्यापारियों की संख्या	ओ फार्म प्रस्तुत न करने वाले पंजीकृत लाईसैंसधारी व्यापारियों की वर्ष वार प्रतिशतता
1	2001–2002	539	64	11.87%
2	2002–2003	682	135	19.79%
3	2003–2004	637	165	25.90%
4	2004–2005	716	262	36.59%
5	2005–2006	637	331	51.96%
6	2006–2007	599	314	52.42%
7	2007–2008	511	199	38.94%
8	2008–2009	478	70	14.64%
9	2009–2010	504	41	8.13%
10	2010–2011	630	218	34.60%
11.	2011–2012	623(704–81)	285	45.74%
12.	2012–2013	678	327	48.23%

15. कम्पाऊंड शुल्क की ₹137118/–की वसूली करते हुए रसीद बुकों में वस्तु का नाम, प्रमात्रा व मूल्य दर्शाए बिना वसूली करना :–

नाकाचौकी शोघी व कुडडू की वर्ष 2012–13 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि इन नाकाचौकियों पर गैरलाईसैंसधारी व्यापारियों से यथाविवरण **परिशिष्ट ''ङ''** के अनुसार रसीद बुकों द्वारा जो कम्पाऊंड शुल्क वसूल किया गया है, उन रसीद बुकों में वसूले गए कम्पाऊंड शुल्क के सन्दर्भ में न तो वस्तु की प्रमात्रा का जिक्र है और न ही वस्तु का मूल्य दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त कई प्रकरणों में तो यह भी नहीं दर्शाया गया है कि

कम्पाऊंड शुल्क किस वस्तु पर लिया जा रहा है। इस प्रकार वसूले गए कम्पाऊंड शुल्क की प्रमाणिकता तथा इसकी वैद्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अनियमितता का उपरोक्त प्रकरण मण्डी समिति के ध्यानार्थ नाकाचौकियों में तैनात कर्मचारियों को अपेक्षित दिशा निर्देश देने तथा उनके कार्यों का पर्यवेक्षण प्रभावशाली ढंग से सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से लाया जाता है ताकि ऐसे प्रकरणों पर पूर्ण अंकुश लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त सुझाव दिया जाता है कि नाकाचौकियों में कार्यरत कर्मचारियों को उक्त सन्दर्भ में विशेष प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उनकी कार्यशैली में सुधार आ जाए।

16 विभिन्न लाईसैन्स धारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क के चैक स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप बैंक प्रभार के रूप में मण्डी समिति को ₹2047/– की हानि होने के बारे में :–

मण्डी समिति के वर्ष 2012–13 की आय से सम्बधित अभिलेख व बैंक खातों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति के ढली स्थित मुख्यालय, उप समिति कोटी, किन्नौर व नारकंडा में वर्ष 2012–2013 के दौरान विभिन्न प्रकरणों में लाईसैन्स धारी व्यापारियों से मण्डी शुल्क के एवज में चैक स्वीकार किए गए जिन्हें मण्डी समिति द्वारा सम्बधित बैंक खाते में जमा कर दिया गया परन्तु बैंक द्वारा इन्हें क्रेडिट करते समय बैंक प्रभार के रूप में सम्बधित बैंक खातों में से ₹2047/– डेबिट कर दिए गए जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "च"** पर दिया गया है। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 121 दिनॉक 12.06.2013 द्वारा मण्डी समिति कार्यालय को अवगत करवाया गया था। अतः इस सन्दर्भ में हुई ₹2047/– की हानि की भरपाई हेतु प्रकरण सम्बधित फर्मो से उठाते हुए काटे गए बैंक प्रभार की वसूली सम्बधित फर्मो से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को यथा समय अवगत करवाया जाए।

17 नाकाचौकी, शोघी से प्राप्त आय की राशि में से ₹12734/– बैंक में कम जमा करवाना :–

नाकाचौकी शोघी की वर्ष 2012–2013 की रोकड़ वही, रसीद बुकों व सम्बधित बैंक खाते की जाँच करने पर पाया गया कि इस नाकाचौकी में प्राप्त आय की वास्तविक राशि की अपेक्षा कम ₹12734/– बैंक में जमा करवाई गई है जिसका विवरण **परिशिष्ट "छ"** पर दिया गया है। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 140 दिनॉक 03.07.2013 द्वारा मण्डी समिति

को अवगत करवाया गया था। इस प्रकार के कई प्रकरण अंकेक्षण द्वारा समय –समय पर जारी अंकेक्षण अधियाचनाओं व पूर्व के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी उठाए गए थे परन्तु फिर भी इस प्रकार के प्रकरण प्रतिवर्ष घटित हो रहे हैं जोकि मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों द्वारा नाकाचौकियों में प्रभावी नियन्त्रण न किये जाने का परिचायक है। अतः उपरोक्त ₹12734/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य हेतु इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति पर अंकुश लगाया जाए।

18 नाकाचौकी, शोघी में ₹15960/– की रद्द रसीदों के साथ मूल प्रतियाँ सलग्न न करनाः–

नाकाचौकी, शोघी की वर्ष 2012–2013 की आय की जाँच करने पर पाया गया कि रसीद संख्या 259231 दिनांक 06.10.2012 में वर्णित मै0 राम लाल अनिल कुमार, टिम्बर मर्चेन्ट, लक्कड बाजार, शिमला से प्राप्त ₹15960/– की रसीद को रद्द किया गया था परन्तु उसकी मूल प्रति रद्द रसीद के साथ सलग्न नहीं थी। अतः उपरोक्त अवस्था में काटी गई कम्पाउंड शुल्क की रसीद को रद्द करना, अपने आप में संदेहास्पद है। मण्डी समिति द्वारा मूल रसीद सलग्न न करने के सन्दर्भ में कोई भी सन्तोषजनक व्याख्या अंकेक्षण को नहीं दी गई। अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ पूर्ण छानबीन करने के उद्देश्य से लाया जाता है। इस सन्दर्भ में पूरी छानबीन कर वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19 उप समिति किन्नौर द्वारा ₹1000/– तथा उप समिति रोहडू द्वारा ₹50/– का बैंक में कम जमा करवाया जानाः–

उप समिति किन्नौर व उप समिति रोहडू द्वारा मण्डी शुल्क के एवज में रसीद संख्या क्रमशः 299901, 299902 व रसीद संख्या 273849 से 273855 तथा रसीद संख्या 273857 से 273860 के अन्तर्गत कुल ₹13,423/– व ₹72178/– प्राप्त की थी परन्तु समितियों में तैनात कर्मचारियों द्वारा उक्त वास्तव में ₹13423/– व ₹72178/– की अपेक्षा वास्तव में ₹12423/– दिनॉक 22.08.2012 व ₹72128/– दिनॉक 02.08.2012 को हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैक, रिकांगपिओ के खाता संख्या 257 व हि0 प्र0 राज्य सहकारी बैक, रोहडू के खाता संख्या 798 में जमा करवाई गई जिस की पुष्टि सम्बधित बैंक खातों की बैंक विवरणियों

से की जा चुकी है। अतः उपरोक्त उप समितियों के कर्मचारियों द्वारा कम जमा की गई ₹1000/– व ₹50/– अर्थात कुल ₹1050/– की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायें व भविष्य हेतु इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति पर अंकुश लगाया जाये।

20 ₹99838/– की आय के अनाद्रित चैकों की वसूली न करनाः–

मण्डी समिति की हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, ढली के खाता संख्या 558 व एच0 डी0 एफ0 सी0, सन्जौली के खाता संख्या 152 की बैंक विवरणियों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त बैंकों में दिनांक 1.4.2012 से 31.3.2013 की अवधि के दौरान जो चैक अनाद्रित हुए है, उनमें से निम्न चैकों की पुनः वसूली की पुष्टि नहीं हो सकी।

क्र0. सं0.	फर्म का नाम	आय की प्रकृति	चैक सं0	कार्यालय द्वारा चैक बैंक में प्रस्तुत करने की तिथि	बैंक द्वारा समाशोधन हेतु चैक प्रस्तुत करने की तिथि	बैंक द्वारा चैक अनाद्रित करने की तिथि	चैक की राशि
1.	मै0 राजीव सूद, ढली	किराया	173524	09.04.2012	12.04.2012	12.04.2012	42806
			173524	16.04.2012	19.04.2012	19.04.2012	
2.	मै0 राज शाह सुशील कुमार, ढली	मण्डी शुल्क	178024	06.08.2012	07.08.2012	08.08.2012	57032
						कुल योग	**99838**

उपरोक्त चैकों में से क्रम सं0 1 पर वर्णित चैक की रोकड़ बही खण्ड –VIII के पृष्ठ सं0 14 व 27 पर दिनांक 9.4.2012 व 16.4.2012 को दो बार प्राप्ति की प्रविष्टी दर्शाई गई व पृष्ठ सं0 27 पर एक बार अनाद्रित चैक की प्रविष्टि भी दर्शाई गई है जबकि उक्त चैक हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता संख्या 558 में दो बार क्रेडिट किया गया व दो बार ही अनाद्रित होने की अवस्था में बैंक द्वारा डेविट किया गया है, जैसा कि बैंक विवरणी से भी स्पष्ट होता है। अतः इस संदर्भ में पुनः क्रेडिट होने की प्रविष्टि बैंक विवरणी में नहीं पाई गई है। इसके अतिरिक्त क्रम संख्या दो पर वर्णित चैक की प्रविष्टी रोकड़ वही खण्ड–IX के पृष्ठ संख्या 28 पर दिनांक 6.8.2012 को केवल एक बार ही की गई है तथा इस चैक के अनादरण सम्बन्धी कोई अन्य प्रविष्टी रोकड़ वहीं में नहीं है, परन्तु एच0 डी0 एफ0 सी0, संजौली खाता संख्या 152 की बैंक विवरणी के अनुसार दिनांक 7.8.2012 को इस चैक के क्रेडिट होने व 8.8.2012

को अनाद्रित होने की पुष्टि की गई है परन्तु इस चैक के सन्दर्भ में पुनः क्रेडिट होने की प्रविष्टी बैंक विवरणी में नहीं पाई गई है। अतः उक्त दोनों चैक बैंकों में क्रेडिट नहीं हुए है इन चैकों में दर्शाई गई राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मों से की जानी अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा उपरोक्त कोताही हेतु उतरदायित्व का भी निर्धारण करते हुए अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

21 उप समिति कोटी में दुकानों के किराये से सम्बन्धित ₹311667/– वसूली न होने के कारण मण्डी समिति को हुई हानि के बारे में:–

कृषि उपज मण्डी समिति की उप समिति कोटी की दुकानों के किराये से सम्बन्धित वर्ष 08.06.2000 से 17.10.2012 के किराया रजिस्टर व सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 20.08.2007 को मण्डी समिति द्वारा माननीय न्यायालय में आंबटियों को दी गई दुकानों के किराये की वसूली से सम्बन्धित याचिका दायर की थी तथा दिनाँक 16.07.2012 को उक्त याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार मण्डी समिति द्वारा पूर्ण अभिलेख जैसे कि वैध किराया इकरारनामा, जोकि मण्डी समिति और कब्जाधारियों के बीच हुआ था, प्रतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित रसीद व किरायेदार द्वारा दुकान पर कब्जा करने से सम्बन्धित अभिलेख माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय कब्जाधारियों के पक्ष में दिया गया। परिणामस्वरूप मण्डी समिति को ₹311667/– की हानि हुई जिनका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	फर्म का नाम	दुकान आंबटित होने की तिथि	माननीय न्यायालय द्वारा दुकान खाली करवाने की तिथि	प्रति माह किराया	अवधि	कुल किराया	दुकान खाली करवाने की तिथि तक वसूल किया गया किराया	किराया वसूल न होने के कारण हुई हानि
1	मै0 तुलसी राम, दुकान नं0 03, उप मण्डी कोटी	08.06.2000	17.10.12	800	148 माह 9 दिन	118626	3200 बाबत र0सं0 2436/24 दिनांक 09.06.2000	115426

2	मै0 ज्ञान सिंह, दुकान नं0 04, उप मण्डी कोटी	08.06.2000	17.10.12	970	148 माह 9 दिन	143851	3880 बाबत रसीद संख्या 2436/25 दिनाँक 09.06. 2000 970 बाबत रसीद संख्या 3111/70 दिनाँक 30.06. 2001 एवम 970 बाबत रसीद संख्या 3111/76 दिनाँक 31.07. 2001 कुल ₹5820	138031
3	मै0 तुलसी राम, दुकान नं0 07, उप मण्डी कोटी	8.6.2000	17.10.12	400	148 माह 9 दिन	59320	1600 बाबत रसीद संख्या 2436/28 दिनांक 96.06. 2000	57720
							कुल योग	**311667**

अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 33 दिनाँक 13.02.2013 के अन्तर्गत मण्डी समिति को पूर्ण अभिलेख सहित माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का परामर्श दिया था ताकि उक्त हुई हानि की वसूली की जा सके, परन्तु अंकेक्षण अभी तक इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः उपरोक्त प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करने तथा उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

22 मण्डी समिति के ढली स्थित मुख्यालय की रोकड वही में पाई गई गम्भीर अनियमिततायेः—

(क) रोकड वही में **₹**1919953/— की आय की राशि की प्रविष्टियॉ न करनाः—

मण्डी समिति की अवधि 1.4.2012 से 31.3.2013 की रोकड वही व सम्बधित बैंक विवरणियों के मिलान करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा निम्न विवरणानुसार विभिन्न

तिथियों को चैक या नकदी के रूप में जो विभिन्न राशियॉ प्राप्त की हैं उन की प्रविष्टियॉ रोकड वही में नही की गई है। यद्यपि बैंक द्वारा इन राशियों में से चैक के माध्यम से प्राप्त राशियों को विभिन्न तिथियों पर क्रेडिट किया गया दर्शाया गया है लेकिन फिर भी ₹230/– दिनांक 18.06.2013 को सम्बधित कर्मचारी द्वारा उतराकेक्षण के दौरान आपित्त उठाने पर बैंक में जमा करवाई गई।

कम संख्या	व्यक्ति एवम फर्म का नाम जिस से आय प्राप्त हुई है।	चैक संख्या/ दिनॉक	रसीद संख्या/दिनॉक	नकद राशि	चैक की राशि	टिप्पणी यदि कोई है
1	मै0 शिमला वेजिटेबल कम्पनी, दुकान न0 09, सब्जी मण्डी, ढली, शिमला–12.	-	269078	5	-	फार्म का मूल्य
2	मै0 करोल ब्रर्दस, दुकान न0 60, सब्जी मण्डी, ढली, शिमला–12.	-	26079	5	-	फार्म का मूल्य
3	मै0 केला भण्डार, दुकान न0 12, ब्लॉक–ए, सब्जी मण्डी, ढली, शिमला–12.	-	269080	5	-	फार्म का मूल्य
4	मै0 पी0 कृष्ण कुमार, दुकान न0 09, ब्लॉक–ए, सब्जी मण्डी, ढली, शिमला–12.	-	269081	5	-	फार्म का मूल्य
5	मै0 लाला अमर नाथ भाटिया एण्ड कम्पनी एम0 आर0 एफ0 बिल्डिंग, सब्जी मण्डी, ढली, शिमला–12.	-	269082	5	-	फार्म का मूल्य
6	मै0 राज शाह सुशील कुमार, सब्जी मण्डी, ढली, शिमला–12.	664506	269083	—	20000	किराए की राशि
7	मै0 राज शाह सुशील कुमार, सब्जी मण्डी, ढली, शिमला–12.	664505	269084	—	251288	मण्डी शुल्क
8	मै0 राज शाह सुशील कुमार, सब्जी मण्डी, ढली, शिमला–12.	664503	269085	—	47152	मण्डी शुल्क
9	मै0 राज शाह सुशील कुमार,	-	269086	5	–	फार्म का मूल्य

	सब्जी मण्डी, ढली, शिमला–12.					
10	मै0 राज शाह सुशील कुमार, सब्जी मण्डी, ढली, शिमला–12	-	269087	100	–	लाईसैंस नवीनीकरण शुल्क
11	मै0 लाला अमर नाथ भाटिया एण्ड कम्पनी एम0 आर0 एफ0 बिल्डिंग, सब्जी मण्डी, ढली, शिमला–12.	-	269088	100	–	लाईसैंस नवीनीकरण शुल्क
12	सचिव, मण्डी समिति, मण्डी	ईण्डियन पोस्टल आर्डर–संख्या 09 एफ 419943	212033	–	3000	गृह निर्माण अग्रिम राशि की वसूली
13	मै0 रघु ईन्टर प्राईजिज	-	218352	–	98283	मण्डी शुल्क
14	उप समिति किन्नौर	चैक संख्या 241001 / 11.04.2012 बचत खाता संख्या 25710115154	–	–	1500000	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, रिकांगपिओ से हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक ढली में स्थानान्तरित किया गया
			कुल योग	**230**	**1919723**	

अतः अनियमितता से सम्बन्धित यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ नियमानुसार कार्रवाई करवाने हेतु लाया जाता है।

(ख) रोकड़ वही में मण्डी शुल्क के रूप में प्राप्त राशि से कम ₹137931/– तथा अधिक ₹1046870/– का ईन्द्राज किया जानाः–

मण्डी समिति के वर्ष 2012–13 के आय से सम्बन्धित अभिलेख व रोकड़ वही/बैंक खातों की जाँच पर पाया गया कि विभिन्न पंजीकृत लाईसैन्सधारी व्यारियों द्वारा मण्डी शुल्क

के रूप में दिये गये चैकों से सम्बन्धित राशियों के स्थान पर मण्डी समिति द्वारा वास्तविक राशि से कम राशि अथवा अधिक राशि का ईन्द्राज किया गया है, जिसका विवरण इस प्रकार से हैः—

क्र0 सं0	व्यक्ति एवम फर्म का नाम जिससे आय प्राप्त हुई है	रसीद संख्या/ दिनांक	चैक सं0	रोकड़ वही पृ0सं0	रसीद बुक के अनुसार प्राप्त की गई वास्तविक राशि	रोकड़ वही में ईन्द्राज की गई राशि	रोकड़ बुक में कम व अधिक ईन्द्राज की गई आय की राशि
1	मै0 सी0टी0 फ्रूट कम्पनी, सब्जी मण्डी, ढली, शिमला—12	299751/ 5.6.12	003052	113 खण्ड— VIII	6483	6488	+5
2	मै0 राय चन्द दीवान चन्द शिमला	228346	551955	5 खण्ड— IX	8590	859	—7731
3	मै0 शर्मा ब्रदर्स, टुटु, शिमला—11	228169	645626	34 खण्ड— IX	10572.57	1057257	+1046684
4	मै0 निर्मला फ्रूट एजेन्सी, दुकान नं0 52, सब्जी मण्डी, ढली, शिमला—12	213652	009265	59 खण्ड— IX	306210	302210	—4000
5	मै0 एम ट्रेडिंग कम्पनी, दुकान नं0 11, सब्जी मण्डी, ढली, शिमला—12	213717	028661	87 खण्ड— IX	117477	11747	—105730
6	मै0 रावत फ्रूट कम्पनी, दुकान नं0 02, सब्जी मण्डी, ढली, शिमला—12	213749	000936	103 खण्ड— IX	60385	60365	—20
7	मै0 अनूप फ्रूट कम्पनी, दुकान नं0 50, सब्जी मण्डी, ढली,	213771	1725245	109 खण्ड— IX	80749	60749	—20000

	शिमला–12						
8	मै0 चौहान सब्जी मण्डी, शिमला–12	213773	306545	109 खण्ड– IX	45831	45381	–450
9	मै0 सिमरन प्रीत मीट शॉप, शिमला	268030	209098	169 खण्ड– IX	2538	2583	+45
10	मै0 रूपा मल सीता राम ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, दुकान नं0 10, 61 सब्जी मण्डी, शिमला	218289	523114	186 खण्ड– IX	2429	2489	+60
11	मै0 रावल दास, शिमला	268840	663011	157 खण्ड– X	3608	3684	+76
	वास्तविक राशि से कम ईन्द्राज की गई राशि का कुल योग ₹137931/–		**वास्तविक राशि से अधिक ईन्द्राज की गई राशि का कुल योग ₹1046870/–**				

अतः अनियमितता से सम्बन्धित यह प्रकरण भी मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ नियमानुसार कार्रवाई करने के उद्देश्य से लाया जाता है।

(ग) ₹1210330/– के खर्चों का रोकड़ वही में ईन्द्राज न करनाः–

मण्डी समिति के वर्ष 2012–13 के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख/रोकड़ बही व बैंक खातों के मिलान करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा निम्नविवरणानुसार विभिन्न तिथियों को विभिन्न बैंकों से ₹1210330/– निकासी की गई जिनको बैंक द्वारा विभिन्न तिथियों पर डेबिट किया गया दर्शाया है, लेकिन इनकी प्रविष्टियां मण्डी समिति की रोकड़ वही में नहीं की गई है।

क्र0सं0	बिल की प्रकृति जिस के अन्तर्गत भुगतान किया गया	बिल संख्या/दिनाँक	बैंक का नाम	चैक संख्या/दिनांक	बैंक खाते में राशि डेबिट होने की तिथि	राशि
1	दैनिक वेतन भोगी	135/02.07.12	पंजाब	55553/		

	कर्मचारियों की मजदूरी		नैशनल बैंक सन्जौली	04.07.12	04.07.12	33155
2	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की मजदूरी	136 / 02.07.12	पंजाब नैशनल बैंक सन्जौली	55553 / 04.07.12		
3	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की मजदूरी	137 / 2.07.12	पंजाब नैशनल बैंक सन्जौली	55553 / 04.07.12		
4	अंकेक्षण शुल्क	130 / 29.6.12	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, ढली	318566 / 05.07.12	27.07.12	1128932
5	बिजली बिल	182 / 26.7.12	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, ढली	308592 / 30.07.12	30.07.12	20243
6	प्रतिभूति राशि की वापसी	290 / 9.7.12	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, संजौली	777357 / 08.12.12	8.12.12	28000
					कुल योग	**1210330**

ऐसे ही प्रकरण वर्ष 2005–06 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 32, वर्ष 2006–07 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 30, वर्ष 2010–11 के अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या 6 (iii) व वर्ष 2011–12 के अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या 21 (ग) के अन्तर्गत मण्डी समिति के ध्यानार्थ लाए गये थे, परन्तु अंकेक्षण द्वारा बार–बार आपत्तियाँ उठाने पर भी ऐसे प्रकरणों की

पुनरावृति पर अंकुश नहीं लगाया गया। अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ नियमानुसार कार्रवाई करने के उद्देश्य से लाया जाता है।

(घ) रोकड़ वही में ₹262703/— का दो बार ईन्द्राज करनाः—

मण्डी समिति की वर्ष 2012—13 की आय से सम्बन्धित अभिलेख/रोकड़ वही व बैंक खातों के मिलान करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा निम्नविवरणानुसार विभिन्न तिथियों को आय से सम्बन्धित राशि का रोकड़ बही के अलग—अलग पृष्ठों पर दो बार ईन्द्राज किया गया जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस प्रकरण में भी अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	व्यक्ति एवम फर्म का नाम जिससे आय प्राप्त हुई है	आय की प्रकृति	रसीद संख्या/ दिनांक	चैक संख्या/ दिनांक	रोकड़ वही पृष्ठ संख्याएं जहाँ—जहाँ प्रविष्टियों की गई है	राशि	टिप्पणी यदि कोई हो
1	मै0 संजय ब्रदर्स, अनाज मण्डी, शिमला	फार्म का मूल्य	269061/ 26.3.13	—	167 खण्ड X एवम 159 खण्ड X	5	—
2	मै0 सालिग राम हेम राज, अनाज मण्डी, शिमला	फार्म का मूल्य	269062/ 26.3.13	—	167 खण्ड X एवम 159 खण्ड X	5	—
3	मै0 दीवाना मल सराफ मल अनाज मण्डी, अनाज मण्डी, शिमला	फार्म का मूल्य	269063/ 26.3.13	—	167 खण्ड X एवम 159 खण्ड X	5	—
4	मै0 नैफड कुसुम्पटी, शिमला	फार्म का मूल्य	269064/ 26.3.13	—	167 खण्ड X एवम 159 खण्ड X	5	—

5	मै0 अमरटैक्स, संजौली, शिमला–06	मण्डी शुल्क	269065 / 26.3.13	556525	167 खण्ड x एवम 159 खण्ड x	6101	–
6	मै0 अमरटैक्स, संजौली, शिमला–06	फार्म का मूल्य	269066 / 26.3.13	–	167 खण्ड x एवम 159 खण्ड x	5	–
7	मै0 शिमला वेजिटेबल शॉप, दुकान नं0 09 सब्जी मण्डी, ढली, शिमला–12	फार्म का मूल्य	269067 / 26.3.13	–	167 खण्ड x एवम 159 खण्ड x	5	–
8	मै0 पी0आर0जे0 ट्रेडर्ज, सब्जी मण्डी, ढली शिमला–12	फार्म का मूल्य	269068 / 26.3.13	–	167 खण्ड x एवम 159 खण्ड x	5	–
9	मै0 पी0आर0जे0 ट्रेडर्ज सब्जी मण्डी, ढली, शिमला–12	लाईसैन्स नवीनीकरण शुल्क	269069 / 26.3.13	–	167 खण्ड x एवम 159 खण्ड x	100	–
10	मै0 पी0आर0जे0 ट्रेडर्ज सब्जी मण्डी, ढली, शिमला–12	किराया	269070 / 26.3.13	–	167 खण्ड x एवम 159 खण्ड x	2400	–
11	मै0 शिमला वेजिटेबल शॉप, दुकान नं0 09 सब्जी मण्डी, ढली,	मण्डी शुल्क	269071 / 26.3.13	411305	167 खण्ड x एवम 159 खण्ड x	128000	–

	शिमला—12						
12	मै0 वाईल्ड फ्लावर हॉल लिमिटेड, छराबड़ा	लाईसैन्स नवीनीकरण शुल्क	269072 / 26.3.13	—	167 खण्ड X एवम 159 खण्ड X	100	—
13	मै0 शर्मा डेली नीडस, न्यू शिमला	लाईसैन्स नवीनीकरण शुल्क	269073 / 26.3.13	—	167 खण्ड X एवम 159 खण्ड X	100	—
14	मै0 ओबराय सिसिल, चौडा मैदान, शिमला	मण्डी शुल्क	269075 / 26.3.13	—	167 खण्ड X एवम 160 खण्ड X	3408	—
15	मै0 ओबराय सिसिल, चौडा मैदान शिमला	फार्म का मूल्य	269076 / 26.3.13	—	167 खण्ड X एवम 159 खण्ड X	5	—
16	मै0 धर्म चन्द, ढली, शिमला—12	किराया	269077 / 26.3.13	064615	167 खण्ड X एवम 158 खण्ड X	6000	—
17	मै0 जय माँ देसू, दुकान नं0 29 सब्जी मण्डी, ढली, शिमला—12	मण्डी शुल्क	269153 / 31.3.13	033720	167 खण्ड X एवम 182 खण्ड X	55064	—
18	मै0 जे0पी0 ट्रेडर्ज, दुकान नं0 22 सब्जी मण्डी, ढली शिमला—12	मण्डी शुल्क	269128 / 31.3.13	800259	170 खण्ड X एवम 182 खण्ड X	5726	—
19	मै0 अमरटैक्स संजौली,	मण्डी शुल्क	269129 / 31.3.13	655353	170 खण्ड X एवम 182	10374	—

	शिमला–06				खण्ड X		
20	मै0 प्रताप सिंह सुनील कुमार, दुकान नं0 38 सब्जी मण्डी, ढली शिमला–12	किराया	269133 / 31.3.13	903573	170 खण्ड X एवम 182 खण्ड X	45290	–
					कुल योग	262703	

(ङ) इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971 (खण्ड–1), के नियम 2.2 के प्रावधानानुसार न तो प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ शेष निकाले गये है और न ही इन्हें मण्डी समिति के किीस भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त नियम के प्रावधानानुसार वान्छित रोकड़ शेषों का प्रमाण पत्र भी अंकित नहीं किया गया है और न ही हस्ताक्षरित किया गया है। ऐसी अवस्था में आय–व्यय की प्रविष्टियों के सन्दर्भ में त्रुटियों की सम्भावनायें होना स्वभाविक ही है। अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकरियों के ध्यानार्थ नियमानुसार कार्रवाई करने के उद्देश्य से लाया जाता है।

23 सावधि को पुनः निवेश करते समय पंजाब नैशनल बैंक, ठियोग द्वारा बचत खाता संख्या 6520000100012087 में ₹4015607 / – के स्थान पर ₹4040898 / – की निकासी करने के फलस्वरूप मण्डी समिति हुई ₹25291 / – की हानि के बारे में:–

मण्डी समिति के वर्ष 2012–13 के सावधि जमा रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा सावधि जमा योजना संख्या 652000 के अन्तर्गत दिनाँक 24.12. 2011 को ₹10000000 / – को एक वर्ष की अवधि के लिए 9.50% ब्याज की दर पर पंजाब नैशनल बैंक में जमा करवाया गया। दिनांक 24.12.2012 को उक्त सावधि जमा की देय परिपक्वता पर ₹10984393 / – मण्डी समिति को देय थी। मण्डी समिति द्वारा दिनाँक 24.12. 2012 को बचत खाता संख्या 6520000100012087 से ₹4015607 / – की निकासी हेतु चैक संख्या 469391 दिनाँक 21.12.2012 पंजाब नैशनल बैंक ठियोग में प्रस्तुत किया ताकि दोनों

राशियों (₹10984393+₹4015607) को मिलाकर ₹15000000/– की नई सावधि जमा बनाई जा सके तथा दिनाँक 24.12.2012 को पंजाब नैशनल बैंक, ठियोग द्वारा ₹15000000/– की नई सावधि भी बना दी गई परन्तु बचत खाता संख्या 6520000100012087 की बैंक विवरणी की जाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 24.12.2012 को पंजाब नैशनल बैंक, ठियोग द्वारा ₹4015607/– के स्थान पर ₹4040898/– की निकासी उक्त बचत खाते में दर्शाई गई। इस तरह बैंक द्वारा ₹25291/– की अधिक निकासी की गई। अतः इससे स्पष्ट होता है कि मण्डी समिति द्वारा अपने जमा खाता की बैंक विवरणियों का अवलोकन नहीं किया जा रहा। यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि इस प्रकरण में संस्था अपने स्तर पर जाँच करके बैंक द्वारा अधिक निकाली गई राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

24 मण्डी समिति की सावधि में जमा राशि को परिपक्वता पर विलम्ब से स्थानान्तरित करने पर ₹15742/– की हानि के बारे में:–

मण्डी समिति के वर्ष 2012–13 के सावधि जमा रजिस्टर व बैंक विवरणी की जाँच करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, ढली द्वारा सावधि जमा संख्या 709407 की परिपक्वता ₹12084001/– दिनाँक 15.11.2012 को देय थी क्योंकि उक्त सावधि जमा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, ढली में मण्डी समिति द्वारा दिनाँक 15.11.2011 को एक वर्ष के लिए 9.51% ब्याज दर पर निवेश किया गया था परन्तु बैंक द्वारा देय परिपक्वता राशि को दिनाँक 15.11.2012 को पुनः निवेश करने के स्थान पर मण्डी समिति कार्यालय के निर्देशानुसार दिनाँक 20.11.2012 को बचत खाता संख्या 558 में परिपक्वता के सममूल्य पर ही स्थानान्तरित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मण्डी समिति को ₹15742/– की ब्याज के रूप में हानि हुई है। अतः इस प्रकरण को सम्बन्धित बैंक के समक्ष उठाकर कम दिये गये ब्याज की वसूली सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार की हानि की पुनरावृति पर अंकुश लगाया जा सके।

25 बैंक द्वारा सावधि जमा में निवेशित राशि की परिपक्वता तिथि से पहले नई सावधि जमा बनाने पर ₹5400/– की हानि के बारे में:–

मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2012–2013 में यूको बैंक ढली में सावधि जमा संख्या 427949 के अन्तर्गत ₹292352/– एक वर्ष के लिए दिनाँक 19.03.2012 को 9.50**%** की ब्याज दर से निवेश की थी। तत्पश्चात कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की अपेक्षित औपचारिकताएं कार्यालय द्वारा यथासमय पूर्ण न करने के एवज में उक्त संगठन द्वारा उक्त सावधि जमा दिनाँक 18.09.2012 को आहरित की गई थी। इस प्रकार उक्त राशि सावधि जमा योजना के अन्तर्गत बैंक के पास 183 दिन तक रही। यूको बैंक की अधिसूचना के अनुसार 183 दिन की ब्याज दर 9**%** देय थी तथा इस प्रकार 9**%** ब्याज दर के हिसाब से मण्डी समिति को ₹13192/– देय थी परन्तु बैंक द्वारा उक्त अवधि के लिए ₹7792/– का ही ब्याज दिया गया। इस तरह मण्डी समिति को ₹5400/– की कम ब्याज दिया गया। अतः उक्त प्रकरण में पूरी छानबीन करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत किया जाए व बैंक द्वारा कम दिये गये ब्याज की वसूली भी सुनिश्चित की जाए।

26 मण्डी समिति द्वारा विभिन्न बचत खातों में अत्याधिक राशि रखने के परिणामस्वरूप मण्डी समिति को प्राप्त योग्य ब्याज की सम्भावित हानि के बारे में:–

मण्डी समिति के वर्ष 2012–13 के विभिन्न बैंकों में संचालित बैंक खातों की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा दिन–प्रतिदिन के व्ययों के भुगतान करने के उपरान्त भी बचत खातों में अनावश्यक रूप से अधिक राशि रखी जाती रही है, जैसा कि **परिशिष्ट "ज"** पर दर्शाए गए विवरण एवम नीचे दी गई तालिका पर बचत खातों में तिमाहीवार जमा राशि के आधार पर बनाए बए विस्तृत विवरण के अवलोकन से विदित होता है जबकि इस राशि का निवेश सुगमता से सावधि जमा योजना में हो सकता था।

क्र0सं0	तिमाही	विभिन्न बैंकों में बचत खातों में जमा राशि
1	31.03.12 को समाप्त तिमाही	32318506.11
2	30.06.12 को समाप्त तिमाही	23216818.00

3	30.9.12 को समाप्त तिमाही	40533455.00
4	31.12.12 को समाप्त तिमाही	61422978.00
5	31.03.13 को समाप्त तिमाही	23099857.00

उपरोक्त राशियों का एक सुनिश्चित भाग सुगमता से सावधि जमा योजना में निवेशित किया जा सकता था। यदि उपरोक्त तिमाही बार बचत खातों में रखी गई राशियों में से अधिक्य राशि सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाता तो मण्डी समिति को ब्याज के रूप में प्राप्त योग्य राशि की सम्भावित हानि नहीं हुई होती। अतः इस प्रकरण में पूरी छानबीन करने के साथ–साथ मण्डी समिति द्वारा प्रभावी वित्तीय प्रबन्धन भी सुनिश्चित किया जाए तथा अधिक्य राशियों का निवेश सावधि जमा योजना में किया जाए जिससे मण्डी समिति को उपलब्ध साधनों से अधिक से अधिक आय सुनिश्चित हो सके।

27 डिपोजिट कार्यों हेतु जमा करवाई गई ₹15424868/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों विभिन्न एजैन्सियों के माध्यम से डिपोजिट कार्य के विरूद्ध करवाए जाते है जिसके लिए धन की व्यवस्था मण्डी समिति की निधि से की जाती है। मण्डी समिति डिपोजिट कार्य के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित है। इस सन्दर्भ में कृषि उपज मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर द्वारा वर्ष 2012–13 में निर्माण कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला के पास ₹15424868/– जमा करवाई गई थी, जिनका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "झ"** पर दिया गया है परन्तु उक्त जमा करवाई गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए है जिन्हें विपणन बोर्ड कार्यालय से शीध्र प्राप्त करके अंकेक्षण को सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए। इस प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि न तो हिमाचल प्रदेश कृषि राज्य विपणन बोर्ड डिपोजिट कार्य के अन्तर्गत प्राप्त राशि को उपयोग करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने बारे गम्भीर है, और न ही मण्डी कार्यालय समय–समय पर विपणन बोर्ड से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने उपरान्त यथा समय अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने के लिए गम्भीर है। इस प्रकरण में विगत वर्षों से लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने का ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	वर्ष	राशि
1	2001—2002	428750
2	2002—2003	350000
3	2003—2004	—
4	2004—2005	4963400
5	2005—2006	2400000
6	2006—2007	8797000
7	2007—2008	9197000
8	2008—2009	9204600
9	2009—2010	17311985
10	2010—2011	9947377
11	2011—2012	8415930
12	2012—2013	15424868

अतः यह प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ अपेक्षित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

28 भत्तों एवम वेतन वृद्धि के रूप में ₹35278/— का अनियमित भुगतान करनाः—

मण्डी समिति ढली के अधिकारियों एवम कर्मचारियों की निजी संचिकाओं/सेवा पुस्तिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा अपने कर्मचारियों को विभिन्न तिथियों को शिमला से बाहर अलग अलग नाकाचौकियों पर स्थानान्तरण किया गया है परन्तु इन कर्मचारियों को कार्यालय आदेशों के अनुसार कार्य ग्रहण करने के उपरान्त भी शिमला का देय मकान किराया भत्ता व राजधानी भत्ता दिया जा रहा था जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के ज्ञापन संख्या फिन—बी(7)—8/94 दिनाँक 08.02.2012 व फिन (सी) बी(7) 1/2012 दिनाँक 28.02.2012 के अन्तर्गत इन कर्मचारियों को दिये गये उक्त भत्ते शिमला व शिमला के उपनगरों में ही देय है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 504 दिनाँक 29.06.2012 व 626 दिनाँक 21.12.2012 द्वारा सचिव मण्डी समिति को उक्त दिये गये अनियमित भत्तों/वेतनवृद्धि के बारे में अवगत करवाया गया है तथा उक्त अधियाचना की अनुपालना में श्री गणेश दत्त शर्मा के

वेतन माह जुलाई 2013, जो 01.08.2013 को देय था व श्री राम चन्द शर्मा के वेतन माह दिसम्बर 2012 जो 01.01.2013 को देय था, से अनियमित भत्तों को बन्द किया जा चुका है परन्तु पूर्व में इन कर्मचारियों को किए अधिक भुगतान की वसूली नहीं की गई। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वित्त (विनियमन) विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन (सी) बी (7) 5/2009 दिनाँक 03.12.2009 व आदेश संख्या फिन (सी) बी (7) 5/2009 दिनाँक 18.01.2012 के अनुसार सरकारी विभागों में अनुबन्ध आधार पर नियुक्त कर्मचारी/अधिकारियों को 12 माह का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त सम्बन्धित पद के टाईम स्केल का न्यूनतम 3**%** वेतन वृद्धि के रूप में देय था परन्तु मण्डी समिति में कार्यरत श्री अनिल कुमार, सचिव को उक्त आदेशों के अनुसार वेतन न दे कर बढ़े हुए वेतन पर वेतनवृद्धि दी गई है। उक्त कर्मचारियों से दिनाँक 31.03.2013 तक दिये गये अनियमित भत्तों व वेतन वृद्धि का विवरण इस प्रकार से हैः—

			अनियमित भत्ते			नियमित भत्ते					
क्र0सं0	नाम एवम पद	मूल वेतन	मकान किराया भत्ता	राजधानी भत्ता	कुल राशि	मकान किराया भत्ता	राजधानी भत्ता	कुल राशि	अवधि	अन्तर	वसूली
1	श्री गणेश दत्त शर्मा, लिपिक	6400+1900	300	175	475	125	शून्य	125	01.03.11 से 31.12.11 तक	350	3500
		6650+1900	300	175	475	125	शून्य	125	01.01.12 से 31.01.12 तक	350	350
		6650+1900	300	275	575	125	शून्य	125	01.02.12 से 29.02.12 तक	450	450
		6650+1900	800	275	1075	300	शून्य	300	01.03.12 से 30.9.12 तक	775	5425
		10300+3200	1000	275	1275	350	शून्य	350	01.10.12 से 31.03.13 तक	925	5550

2	श्री राम चन्द शर्मा, नीलामी अभिलेखक	10300+3200	500	175	675	175	शून्य	175	03.07.10 से 31.07. 10 तक	500	468
		10300+3200	500	175	675	175	शून्य	175	01.08.10 से 31.05. 11 तक	500	5500
		10710+3200	500	175	675	175	शून्य	175	01.06.11 से 31.01. 12 तक	500	3500
		10710+3200	500	275	775	175	शून्य	175	01.02.12 से 29.02. 12 तक	600	600
		10710+3200	1200	275	1475	400	शून्य	400	01.03.12 से 31.05. 12 तक	1075	3235
		11130+3200	1200	275	1475	400	शून्य	400	01.06.12 से 30.11. 12 तक	1075	6450
	3		श्री अनिल चौहान, सचिव	01.03.12 से 31. 03.13 तक	16240				16220	20	260
									कुल योग		35278

उपरोक्त दिये गये अनियमित भत्तों व वेतनवृद्धि की वसूली शीघ्रातिशीघ्र करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

29 कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में पाई गई अन्य गम्भीर अनियमिततायें:—

मण्डी समिति में कार्यरत्त कर्मचारियों की निजी संचिकाओं/सेवा पुस्तिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न कर्मचारियों द्वारा विभिन्न तिथियों को अर्जित/परिणित अवकाश ग्रहण किया था परन्तु अवकाश सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में इन्द्राज नहीं किया

गया और न ही अवकाश की स्वीकृति से सम्बन्धित आदेश निजी संचिकाओं में संलग्न थे। इस बारे में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 568 दिनाँक 08.10.2012 को मण्डी समिति कार्यालय को अवगत करवाया गया था परन्तु मण्डी समिति द्वारा इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

क्र0सं0	नाम व पद	अवकाश	अनियमिततायें
1	श्री बी0आर0 गर्ग, मण्डी पर्यवेक्षक	अर्जित अवकाश दिनाँक 25.06.2012 से 28.06.2012 तक कुल 4 दिन	सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में इन्द्राज नहीं किया गया
2	श्री परस राम वर्मा, नीलामी अभिलेखक	अर्जित अवकाश दिनाँक 01.2.2011 से 17.02.2011 तक कुल 17 दिन	सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में इन्द्राज नहीं किया गया तथा स्वीकृति आदेश भी संचिका में संलग्न नहीं थे।
3	श्री रमेश कुमार, लिपिक	परिणित अवकाश दिनाँक 11.06.2012 से 16.06.2012 तक कुल 6 दिन	सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा दिनाँक 14.06.2012 से 16. 06.2012 तक चिकित्सा एवम आरोग्य प्रमाण पत्र दिया गया था, परन्तु सक्षम अधिकारी द्वारा परिणित अवकाश 11. 06.2012 स 16.06.2012 तक स्वीकृत किया गया है
		अर्जित अवकाश दिनाँक 03.07.2012 से 07.07.2012 तक कुल 04 दिन	अवकाश स्वीकृति आदेश संचिका में संलग्न नहीं थे।
4	श्री हेम राज ठाकुर, मण्डी पर्यवेक्षक	अर्जित अवकाश दिनाँक 21.11.2011 से 03.12.2011 तक	सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में इन्द्राज नहीं किया गया तथा स्वीकृति

		कुल 13 दिन	आदेश भी संचिका में संलग्न नहीं थे
5	श्री प्रेम शर्मा, चपड़ासी	अर्जित अवकाश दिनाँक 30.03.2009 से 04.04.2009 तक कुल 06 दिन	सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में इन्द्राज नहीं किया गया

अतः उपरोक्त दर्शाई गई अनियमितताओं का केन्द्रीय असैनिक सेवाएं अवकाश नियम, 1972 (संशोधित) के प्रावधानानुसार निपटारा करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30 स्टोर/स्टॉक हेतु क्रय की गई विभिन्न वस्तुओं को विधिवत सम्बन्धित कर्मचारियों को जारी न करना:–

मण्डी समिति के स्टॉक/स्टोर रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2011 से वर्ष 2013 के दौरान विभिन्न वस्तुएं स्टॉक/स्टोर हेतु क्रय की गई परन्तु स्टॉक रजिस्टर में क्रय की गई अधिकांश वस्तुओं को समय–समय पर विधिवत किसी कर्मचारी को जारी नहीं किया गया अपितु केवल मात्र छुटपुट प्रकरणों में वस्तुओं को जारी किया हुआ दर्शाया भी गया है। उन प्रकरणों में भी वस्तुओं के प्राप्तकर्ता कर्मचारी के हस्ताक्षर स्टॉक रजिस्टर में उपलब्ध नहीं है जिस कारण जहाँ एक और वस्तुओं को जारी किए जाने सम्बन्ध स्टॉक रजिस्टरों में की गई प्रविष्टियों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी वही दूसरी ओर यह ज्ञात करना भी कठिन है कि वास्तव में स्टॉक स्टोर में किन–किन वस्तुओं की कितनी प्रमात्रा है, क्योंकि मण्डी समिति स्टॉक रजिस्टर में क्रय अथवा निर्गम के उपरान्त वस्तुओं के शेष भी नहीं निकाले गये है। इससे सम्बन्धित अंकेक्षण अधियाचना संख्या 554 दिनाँक 28.09.2012 मण्डी समिति कार्यालय को जारी की थी, परन्तु इस प्रकरण में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अतः उपरोक्त प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971 के खण्ड–1 के नियम 15.6 व 15.19 व नियम 15.22 (4) के प्रावधानानुसार स्टॉक/स्टोर को क्रय, जारी करना व इन्द्राज किया जाना अपेक्षित है।

31 **आधुनिक उप मण्डी, पराला के निजी मकान व भूमि अधिग्रहण हेतु अंकेक्षण द्वारा पारित बिलो का विलम्ब से आंशिक भुगतान तथा भुगतान नहीं करनाः–**

मण्डी समिति के वर्ष 2012–2013 के व्यय से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी समिति द्वारा आधुनिक उप समिति पराला के शिलान्यास उपरान्त विभिन्न किसानों से निजी भूमि व निजी मकान खरीदने हेतु ₹4785000/– व ₹442815/– के बिल संख्या 106, 107 दिनाँक 28.6.2011 के अन्तर्गत लेखा परीक्षा मे ंप्रस्तुत किए थे जिसे लेखा परीक्षा द्वारा दिनांक 29.6.11 को पारित किया गया था परन्तु दिनाँक 27.11.2012 तक उपरोक्त ₹4785000/– में से ₹1980000/– का ही भुगतान रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 397 खण्ड–5 पर किया गया दर्शाया गया है तथा शेष ₹2805000/– के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त ₹442815/– के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार एक लम्बी अवधि के उपरान्त भी बकाया राशि के व्यय से सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज व प्रविष्टि रोकड़ वही में नहीं की गई है जिससे प्रतीत होता है कि बकाया (₹4785000–₹1980000=₹2805000/– तथा ₹442815/– का भुगतान भूमि व मकान के अधिग्रहण मण्डी समिति द्वारा नहीं किया गया। उक्त राशि को अंकेक्षण से पारित करवाने के उपरान्त भी अति विलम्ब से भुगतान करने अथवा भुगतान न करने से सम्बन्धित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए मण्डी समिति कार्यालय के अंकेक्षण अधियाचना संख्या 599 दिनाँक 27.11.2012 के अन्तर्गत अवगत करवाया गया था परन्तु मण्डी समिति द्वारा इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः उपरोक्त प्रकरण मण्डी समिति के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

32 **विभिन्न बिलों से ₹105464/– की स्थल पर की गई कटौती के बारे मेंः–**

निवासी अंकेक्षण योजना के पूर्वाकेंक्षण के दौरान प्रस्तुत किये गये विभिन्न बिलों की वर्ष 2012–2013 में जाँच पड़ताल दौरान ₹105464/– की कटौती अंकेक्षण द्वारा स्थल पर करवा दी गई थी। अतः मण्डी समिति के प्राधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में पूर्वाकेंक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न बिलों की सही प्रकार से जाँच पड़ताल के उपरान्त ही इन्हें अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें व आन्तरिक लेखा प्रणाली को सुदृढ बनाया जाए ताकि अनियमित अदायगी की किसी भी सम्भावना से बचा जा सके।

33 **निष्कर्षः—**

कृषि उपज मण्डी समिति, शिमला एवं किन्नौर, ढली, शिमला—12 के लेखों का रख रखाव असन्तोषजनक है। मण्डी समिति कार्यालय द्वारा वर्ष 2012—13 की वित्तीय स्थिति व अन्य अभिलेख/सूचनाएं अंकेक्षण को प्रस्तुत न किये जाने के कारण इन सूचनाओं का उल्लेख इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में नहीं हो सका। मण्डी समिति कार्यालय द्वारा बैंक समाधान विवरणिकाऐं भी नहीं बनाई जाती है और बैंक खातों का नियमानुसार मिलान भी नहीं किया जा रहा है। पुराने लम्बित पड़े अंकेक्षण पैरों व अंकेक्षण अधियाचनाओं को निपटाने में गतिशीलता नगण्य है व अंकेक्षण हेतु सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण से प्रस्तुत नहीं किया जाता है जिस कारण जहॉ अंकेक्षण कार्य में अवरोध पैदा होता है वहीं अंकेक्षण प्रतिवेदन को तैयार करने में भी विलम्ब होता है।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)38/70, खण्ड—15 दिनांक,12.5.2014 शिमला—171009

पंजीकृत प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति शिमला किन्नौर स्थित ढली हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अनुभाग अधिकारी निवासी अंकेक्षण योजना मण्डी समिति सोलन तथा इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड विपणन भवन खलीनी शिमला—171002
3. अवर सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—171002
4. अनुभाग अधिकारी निवासी अंकेक्षण योजना विपणन समिति सोलन

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2012 से 3/2013

भाग–3

पुरानी लम्बित पड़ी अंकेक्षण आपत्तियों की वर्तमान स्थिति (पैरा 1 (घ)

(क) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 7/74 से 3/83

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–5	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (ए, सी)	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (बी, सी)	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–15	अनिर्णीत

(ख) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/83 से 3/84

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत

(ग) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/84 से 3/85

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
4	पैरा–8 (ए)	अनिर्णीत
5	पैरा–8 (डी, ई)	अनिर्णीत
6	पैरा–11	अनिर्णीत
7	पैरा–12	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत

9	पैरा—15	अनिर्णीत
10	पैरा—16 (3), (8) (9)	अनिर्णीत

(घ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/85 से 3/86

1	पैरा—6	अनिर्णीत
2	पैरा—7 (1), (6), (7) (14)	अनिर्णीत
3	पैरा—9 (सी)	अनिर्णीत
4	पैरा—10 (1, 2)	अनिर्णीत
5	पैरा—11	अनिर्णीत
6	पैरा—12 (1)	अनिर्णीत

(ङ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/86 से 3/88

1	पैरा—5	अनिर्णीत
2	पैरा—6 (ए) (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा—10 (बी) (डी से जी)	अनिर्णीत
4	पैरा—11 (ए से डी)	अनिर्णीत
5	पैरा—12	अनिर्णीत

(च) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/88 से 3/91

1	पैरा—5	अनिर्णीत
2	पैरा—6 (क से ङ)	अनिर्णीत
3	पैरा—7 (क से ग)	अनिर्णीत
4	पैरा—8	अनिर्णीत
5	पैरा—9 (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा—10 (क से ग)	अनिर्णीत
7	पैरा—10 (च) (1 से 7)	अनिर्णीत
8	पैरा—10 (5) (1 से 4)	अनिर्णीत
9	पैरा—11	अनिर्णीत
10	पैरा—12 (क से ख)	अनिर्णीत

11	पैरा–14	आंशिक निर्णीत
12	पैरा–14 (क से ङ)	अनिर्णीत
13	पैरा–15 (ख से ग)	अनिर्णीत
14	पैरा–16 (क,ख,ग,घ,च,छ,ज,झ,य एवं ट)	अनिर्णीत
15	पैरा–17 एवं 18 (क)	अनिर्णीत
16	पैरा–20	अनिर्णीत
17	पैरा–22	अनिर्णीत
18	पैरा–23	अनिर्णीत
19	पैरा–24 (क तथा ख)	अनिर्णीत
20	पैरा–25	अनिर्णीत
21	पैरा–26	अनिर्णीत
22	पैरा–27	अनिर्णीत
23	पैरा–28	अनिर्णीत
24	पैरा–29	अनिर्णीत

(छ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/91 से 3/96

1	पैरा–3 (ग), (3), (4) (9)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (क) (4)	अनिर्णीत
3	पैरा–5	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (क, ख) (1 से 5)ग,घ,ङ,च तथा छ)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (क)(1,4,5,6) तथा (ख)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (क) (3)	अनिर्णीत
7	पैरा–8 (क) (ग)	अनिर्णीत
8	पैरा–8 (ख)	आंशिक निर्णीत
9	पैरा–9 (3)	अनिर्णीत
10	पैरा–10 (क) (2)	अनिर्णीत
11	पैरा–10 (ङ)	अनिर्णीत
12	पैरा–10 (ख) (2)	आंशिक निर्णीत
13	पैरा–10 (घ) (1 तथा 2)	अनिर्णीत

14	पैरा–10 (च) (1 तथा 3)	अनिर्णीत	
15	पैरा–10 (ज) (1) (ए तथा बी)	अनिर्णीत	
16	पैरा–10 (ज) (2 तथा 3)	अनिर्णीत	
17	पैरा–10 (झ)	आंशिक निर्णीत	
18	पैरा–10 (ण)	अनिर्णीत	
19	पैरा–11	अनिर्णीत	
20	पैरा–12	अनिर्णीत	
21	पैरा–13	अनिर्णीत	
22	पैरा–14	अनिर्णीत	
23	पैरा–15	अनिर्णीत	
24	पैरा–16	अनिर्णीत	
25	पैरा–17	अनिर्णीत	
26	पैरा–18	अनिर्णीत	
27	पैरा–19	अनिर्णीत	
28	पैरा–20	अनिर्णीत	
29	पैरा–21	अनिर्णीत	
30	पैरा–22	अनिर्णीत	
31	पैरा–23	अनिर्णीत	

(ज) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/96 से 3/99

1	पैरा–3 (ख) (2, (7)	अनिर्णीत	
2	पैरा 3 (ख) (3)	निर्णीत	पत्र संख्या 195 दिनांक 3.10.13
3	पैरा–3 (ख) (9 से 12)	अनिर्णीत	
4	पैरा–3 (ग) (3), (6) (8) (9)	अनिर्णीत	
5	पैरा–6 (क) (ख)	आंशिक निर्णीत	
6	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत	
7	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत	
8	पैरा–8 (क) एवं (ख) (1 से 5)	अनिर्णीत	
9	पैरा–8 (ग) (1 से 2)	अनिर्णीत	
10	पैरा–9 (क) (ख) (ग)	अनिर्णीत	

11	पैरा—10 (क, ख, ग)	अनिर्णीत
12	पैरा—11 (1 से 9)	अनिर्णीत
13	पैरा—12	अनिर्णीत
14	पैरा—13	अनिर्णीत
15	पैरा—14	आंशिक निर्णीत
16	पैरा—15	आंशिक निर्णीत
17	पैरा—17	अनिर्णीत
18	पैरा—18	अनिर्णीत
19	पैरा—19 (क से घ)	अनिर्णीत
20	पैरा—20	अनिर्णीत
21	पैरा—21	अनिर्णीत
22	पैरा—22	अनिर्णीत
23	पैरा—23	अनिर्णीत
24	पैरा—24	अनिर्णीत
25	पैरा—28	अनिर्णीत
26	पैरा—29 (क तथा ख)	अनिर्णीत
27	पैरा—30	अनिर्णीत
28	पैरा—34 (क, ख एवं ग)	अनिर्णीत
29	पैरा—35 (1, 2 व 3)	अनिर्णीत
30	पैरा—35 (5, 6 व 7)	अनिर्णीत
31	पैरा—36 (1 से 3)	अनिर्णीत
32	पैरा—38 (1 से 4)	अनिर्णीत
33	पैरा—39, 41, 42 एवं 43	अनिर्णीत

(झ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/99 से 3/2000

1	पैरा—3 (ख) (10, 11 व 12)	अनिर्णीत
2	पैरा—3 (ग) (2)(1,2,3,6,7,9 व 12)	अनिर्णीत
3	पैरा—3 (ग) 2 (10)	आंशिक निर्णीत
4	पैरा—3 (घ) (1 से 3)	अनिर्णीत
5	पैरा—9	आंशिक निर्णीत

6	पैरा–10	अनिर्णीत
7	पैरा–11	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत
9	पैरा–14	अनिर्णीत
10	पैरा–15	अनिर्णीत
11	पैरा–16	अनिर्णीत
12	पैरा–17	अनिर्णीत
13	पैरा–18 (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा–19	अनिर्णीत
15	पैरा–20	अनिर्णीत
16	पैरा–22	अनिर्णीत
17	पैरा–23	अनिर्णीत
18	पैरा–24	अनिर्णीत
19	पैरा–26	अनिर्णीत
20	पैरा–28	अनिर्णीत
21	पैरा–29	अनिर्णीत
22	पैरा–31	अनिर्णीत
23	पैरा–32	अनिर्णीत
24	पैरा–34	अनिर्णीत
26	पैरा–35	अनिर्णीत
26	पैरा–37 (1, 2)	अनिर्णीत
27	पैरा– 37 (3) (1 से 6)	अनिर्णीत
28	पैरा–38	अनिर्णीत
29	पैरा–40	अनिर्णीत
30	पैरा–41	अनिर्णीत
31	पैरा–42	अनिर्णीत

32	पैरा—43 (1 से 14)	अनिर्णीत	
33	पैरा—44	अनिर्णीत	

(ञ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/2000 से 3/2001

1	पैरा—5 एवं 7	अनिर्णीत	
2	पैरा—8 (क तथा ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा—9	अनिर्णीत	
4	पैरा—9 (ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा—9 (ग)	आंशिक निर्णीत	
6	पैरा—9 (घ)	निर्णीत	पत्र संख्या 195 दिनांक 3.10.13
7	पैरा—10	अनिर्णीत	
8	पैरा—11 (क तथा ख)	अनिर्णीत	
9	पैरा—12	अनिर्णीत	
10	पैरा—14 (ख)	आंशिक निर्णीत	
11	पैरा—15	अनिर्णीत	
12	पैरा—16 (क से घ तथा ण)	अनिर्णीत	
13	पैरा—17	अनिर्णीत	
14	पैरा—18	आंशिक निर्णीत	
15	पैरा—19	अनिर्णीत	
16	पैरा—20	अनिर्णीत	
17	पैरा—21	अनिर्णीत	
18	पैरा—23	अनिर्णीत	
19	पैरा—24	अनिर्णीत	
20	पैरा—25	अनिर्णीत	
21	पैरा—26	अनिर्णीत	
22	पैरा—27	अनिर्णीत	
23	पैरा—28	अनिर्णीत	

24	पैरा–30	अनिर्णीत
25	पैरा–31	अनिर्णीत
26	पैरा–32	अनिर्णीत
27	पैरा–33	अनिर्णीत
28	पैरा–34	अनिर्णीत
29	पैरा–35	अनिर्णीत
30	पैरा–36 (क से घ एवं ण)	अनिर्णीत
31	पैरा–38	अनिर्णीत
32	पैरा–39	अनिर्णीत
33	पैरा–40	अनिर्णीत
34	पैरा–41	अनिर्णीत
35	पैरा–42	अनिर्णीत
36	पैरा–43	अनिर्णीत
37	पैरा–45	अनिर्णीत
38	पैरा–46 (क तथा ख)	अनिर्णीत

(त) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/2001 से 3/2002

1	पैरा–5 (क, ख तथा ग)	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–9	अनिर्णीत
6	पैरा–10	अनिर्णीत
7	पैरा–11	अनिर्णीत
8	पैरा–12	अनिर्णीत
9	पैरा–13	अनिर्णीत
10	पैरा–14	अनिर्णीत
11	पैरा–15	निर्णीत

12	पैरा—18	अनिर्णीत
13	पैरा—19	अनिर्णीत
14	पैरा—20	अनिर्णीत
15	पैरा—21	अनिर्णीत
16	पैरा—23	अनिर्णीत
17	पैरा—24	अनिर्णीत
18	पैरा—25	अनिर्णीत
19	पैरा—26	अनिर्णीत
20	पैरा—27	अनिर्णीत
21	पैरा—28	अनिर्णीत
22	पैरा—29	अनिर्णीत
23	पैरा—30	अनिर्णीत
24	पैरा—31	अनिर्णीत
25	पैरा—32	अनिर्णीत
26	पैरा—34	अनिर्णीत
27	पैरा—35	अनिर्णीत
28	पैरा—36	अनिर्णीत
29	पैरा—37	अनिर्णीत
30	पैरा—38	अनिर्णीत
31	पैरा—39	अनिर्णीत
32	पैरा—40 (ए तथा बी)	अनिर्णीत
33	पैरा—41	अनिर्णीत
34	पैरा—42	अनिर्णीत
35	पैरा—43	अनिर्णीत

36	पैरा—44	अनिर्णीत
37	पैरा—45	अनिर्णीत

(थ) लेखा परीक्षा रिपोर्ट अवधि 4/2002 से 3/2003

1	पैरा—5	अनिर्णीत
2	पैरा—6	अनिर्णीत
3	पैरा—7	अनिर्णीत
4	पैरा—8	अनिर्णीत
5	पैरा—9	अनिर्णीत
6	पैरा—10	अनिर्णीत
7	पैरा—11	अनिर्णीत
8	पैरा—12	अनिर्णीत
9	पैरा—13	अनिर्णीत
10	पैरा—14	अनिर्णीत
11	पैरा—15	अनिर्णीत
12	पैरा—16	अनिर्णीत
13	पैरा—17	अनिर्णीत
14	पैरा—18	अनिर्णीत
15	पैरा—19	अनिर्णीत
16	पैरा—20	अनिर्णीत
17	पैरा—21	अनिर्णीत
18	पैरा—22	अनिर्णीत
19	पैरा—23	अनिर्णीत
20	पैरा—24	अनिर्णीत

21	पैरा–25	अनिर्णीत
22	पैरा–26	अनिर्णीत
23	पैरा–27	अनिर्णीत
24	पैरा–28	अनिर्णीत
25	पैरा–29	अनिर्णीत
26	पैरा–30	अनिर्णीत
27	पैरा–31	अनिर्णीत
28	पैरा–32	अनिर्णीत
29	पैरा–33	अनिर्णीत
30	पैरा–34	अनिर्णीत
31	पैरा–35	अनिर्णीत
32	पैरा–36	अनिर्णीत
33	पैरा–37	अनिर्णीत
34	पैरा–38	अनिर्णीत
35	पैरा–39	अनिर्णीत

(द) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2003 से 3/2004

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–9	अनिर्णीत
6	पैरा–10	अनिर्णीत
7	पैरा–11	अनिर्णीत

8	पैरा—12	अनिर्णीत
9	पैरा—13	अनिर्णीत
10	पैरा—14	अनिर्णीत
11	पैरा—15	अनिर्णीत
12	पैरा—17	अनिर्णीत
13	पैरा—18	अनिर्णीत
14	पैरा—19	अनिर्णीत
15	पैरा—20	अनिर्णीत
16	पैरा—21	अनिर्णीत
17	पैरा—22	अनिर्णीत
18	पैरा—23	अनिर्णीत
19	पैरा—24	अनिर्णीत
20	पैरा—25	अनिर्णीत
21	पैरा—27	अनिर्णीत
22	पैरा—29	अनिर्णीत
23	पैरा—30	अनिर्णीत
24	पैरा—31	अनिर्णीत

(ध) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2004 से 3/2005

1	पैरा—4	अनिर्णीत
2	पैरा—5	अनिर्णीत
3	पैरा—6	अनिर्णीत
4	पैरा—7	अनिर्णीत
5	पैरा—8	अनिर्णीत

6	पैरा—9	अनिर्णीत
7	पैरा—10	अनिर्णीत
8	पैरा—11	अनिर्णीत
9	पैरा—12	अनिर्णीत
10	पैरा—13	अनिर्णीत
11	पैरा—14	अनिर्णीत
12	पैरा—15	अनिर्णीत
13	पैरा—16	निर्णीत
14	पैरा—17	अनिर्णीत
15	पैरा—19	अनिर्णीत
16	पैरा—20	अनिर्णीत
17	पैरा—22	अनिर्णीत
18	पैरा—23	अनिर्णीत
19	पैरा—24	अनिर्णीत
20	पैरा—25	अनिर्णीत
21	पैरा—26	अनिर्णीत
22	पैरा—27	अनिर्णीत
23	पैरा—28	अनिर्णीत
24	पैरा—29	अनिर्णीत
25	पैरा—32	अनिर्णीत
26	पैरा—33	अनिर्णीत
27	पैरा—34	अनिर्णीत
28	पैरा—35	अनिर्णीत
29	पैरा—36	अनिर्णीत

30	पैरा–37	अनिर्णीत

(न) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–5	अनिर्णीत
3	पैरा–6	अनिर्णीत
4	पैरा–7	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत
6	पैरा–9	अनिर्णीत
7	पैरा–10	अनिर्णीत
8	पैरा–11	अनिर्णीत
9	पैरा–13	अनिर्णीत
10	पैरा–14	अनिर्णीत
11	पैरा–16	अनिर्णीत
12	पैरा–18	अनिर्णीत
13	पैरा–21	अनिर्णीत
14	पैरा–24	अनिर्णीत
15	पैरा–25	अनिर्णीत
16	पैरा–26	अनिर्णीत
17	पैरा–27	अनिर्णीत
18	पैरा–28	अनिर्णीत
19	पैरा–29	अनिर्णीत
20	पैरा–31	अनिर्णीत

21	पैरा—32	अनिर्णीत
22	पैरा—33	अनिर्णीत
23	पैरा—35	अनिर्णीत
24	पैरा—36	अनिर्णीत
25	पैरा—37	अनिर्णीत
26	पैरा—38	अनिर्णीत
27	पैरा—39	अनिर्णीत
28	पैरा—40	अनिर्णीत

(प) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2006 से 3/2007

1	पैरा—2	अनिर्णीत
2	पैरा—3	अनिर्णीत
3	पैरा—4	अनिर्णीत
4	पैरा—5	अनिर्णीत
5	पैरा—6	अनिर्णीत
6	पैरा—7	अनिर्णीत
7	पैरा—8	अनिर्णीत
8	पैरा—9	अनिर्णीत
9	पैरा—10	अनिर्णीत
10	पैरा—11	अनिर्णीत
11	पैरा—12	अनिर्णीत
12	पैरा—13	अनिर्णीत
13	पैरा—14	अनिर्णीत
14	पैरा—15	अनिर्णीत

15	पैरा—17	अनिर्णीत
16	पैरा—18	अनिर्णीत
17	पैरा—19	अनिर्णीत
18	पैरा—20	अनिर्णीत
19	पैरा—21	अनिर्णीत
20	पैरा—22	अनिर्णीत
21	पैरा—24	अनिर्णीत
22	पैरा—25	अनिर्णीत
23	पैरा—26	अनिर्णीत
24	पैरा—27	अनिर्णीत
25	पैरा—28	अनिर्णीत
26	पैरा—29	अनिर्णीत
27	पैरा—30	अनिर्णीत

(फ) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा—6	अनिर्णीत
2	पैरा—7	अनिर्णीत
3	पैरा—8	अनिर्णीत
4	पैरा—9	अनिर्णीत
5	पैरा—10	अनिर्णीत
6	पैरा—11	अनिर्णीत
7	पैरा—12	अनिर्णीत
8	पैरा—14	अनिर्णीत
9	पैरा—15	अनिर्णीत

10	पैरा–16	अनिर्णीत
11	पैरा–17	अनिर्णीत
12	पैरा–18	अनिर्णीत
13	पैरा–19	अनिर्णीत
14	पैरा–21	अनिर्णीत

(ब) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2008 से 3/2009

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–9	अनिर्णीत
5	पैरा–10	अनिर्णीत
6	पैरा–11	अनिर्णीत
7	पैरा–12	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत
9	पैरा–14	अनिर्णीत
10	पैरा–15	अनिर्णीत
11	पैरा–16	अनिर्णीत
12	पैरा–17	अनिर्णीत
13	पैरा–19	अनिर्णीत
14	पैरा–21	अनिर्णीत

(भ) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–6	अनिर्णीत

2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–9	अनिर्णीत
5	पैरा–11	अनिर्णीत
6	पैरा–12	अनिर्णीत
7	पैरा–13	अनिर्णीत
8	पैरा–14	अनिर्णीत
9	पैरा–15	अनिर्णीत
10	पैरा–16	अनिर्णीत
11	पैरा–17	अनिर्णीत
12	पैरा–18	अनिर्णीत
13	पैरा–19	अनिर्णीत
14	पैरा–20	अनिर्णीत
15	पैरा–21	अनिर्णीत

(म) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–9	अनिर्णीत
5	पैरा–10	अनिर्णीत
6	पैरा–11	अनिर्णीत
7	पैरा–12	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत
9	पैरा–14	अनिर्णीत

10	पैरा–15	निर्णीत	पत्र संख्या 195 दिनांक 3.10.13
11	पैरा–16 (I से VII)	अनिर्णीत	
12	पैरा–17	अनिर्णीत	
13	पैरा–18	अनिर्णीत	
14	पैरा–19	अनिर्णीत	
15	पैरा–20	अनिर्णीत	
16	पैरा–21	अनिर्णीत	
17	पैरा–22	अनिर्णीत	
18	पैरा–23	अनिर्णीत	

(य) अंकेक्षण रिपोर्ट अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा–6	अनिर्णीत	
2	पैरा–7	अनिर्णीत	
3	पैरा–8	अनिर्णीत	
4	पैरा–9	अनिर्णीत	
5	पैरा–10	अनिर्णीत	
6	पैरा–11	अनिर्णीत	
7	पैरा–12	अनिर्णीत	
8	पैरा–13	अनिर्णीत	
9	पैरा–14	अनिर्णीत	
10	पैरा–15	अनिर्णीत	
11	पैरा–16	निर्णीत	पत्र संख्या 195 दिनांक 3.10.13

12	पैरा–17	अनिर्णीत
13	पैरा–18	अनिर्णीत
14	पैरा–19	अनिर्णीत
15	पैरा–20	अनिर्णीत
16	पैरा–21 (क, ख तथा ग)	अनिर्णीत
17	पैरा–22 (i, ii)	अनिर्णीत
18	पैरा–23	अनिर्णीत
19	पैरा–24	अनिर्णीत
20	पैरा–25	अनिर्णीत
21	पैरा–26	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	452
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्णीत किए गए गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरे	4
अन्तशेष (अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/11 से 3/12 तक)	448

अनुलग्नक –बी पैरा संख्या 4 (क)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2012 से 31.3.2013

मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर, ढली शिमला–12 के वर्ष 2012–2013 के वार्षिक लेखों पर अंकेक्षण की विविक्षा टिप्पणियॉः–

तुलन पत्र (**Balance Sheet**)

(क) दायित्व पक्ष (**liabilities**)

(ए) सामान्य निधिः–

कृषि उपज मण्डी समिति शिमला एवं किन्नौर कार्यालय द्वारा प्रारम्भ से ही आय के सन्दर्भ में कोई भी वर्गीकृत खाता वही तैयार नहीं किए गए है जिसका वर्णन विगत वर्षों के वार्षिक लेखों की विवीक्षा टिप्पणियों में भी किया गया है। चार्टड अकाऊटैन्ट द्वारा वर्ष 2012–13 के तुलन पत्र में ₹432423371.75 प्रारम्भिक शेष दर्शाया गया है। मण्डी समिति कार्यालय में आय से सम्बन्धित वर्गीकृत खाता वही उपलब्ध न होने के कारण इस सन्दर्भ में कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार वर्ष 2012–13 के तुलनपत्र में आय का व्यय पर आधिक्य (Surplus) ₹75448485.82 दर्शाया गया है जबकि वास्तव में आय का व्यय पर आधिक्य ₹74055390.82 बनता है जिससे उक्त मद ₹1393095/– से अधिक दर्शाई गई है। इस प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि चार्टड अकाऊंटैन्ट द्वारा तैयार किए गए आय व व्यय खाता में आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त तथा आय व व्यय खाता में दर्शाए गए घिसावट व्यय व अपलिखित अनुदान राशि (Grant-in-aid तथा write off) को यथा मानते हुए वर्ष 2012–13 का आय का व्यय पर आधिक्य ₹74055390.82 बनता है क्योंकि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा प्रारम्भ से ही चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर तैयार नहीं किए गए है जिस कारण आय व व्यय खाता में दर्शाए गए घिसावट व्यय का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आय व व्यय खाता में सभी मद संशोधन उपरोक्त कार्यालय अभिलेख के

अनुसार बिल्कुल सही है। मण्डी समिति कार्यालय द्वारा वर्ष 2012–13 की वित्तीय स्थिति भी तैयार करके अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई है।

(बी) अनुदान (**Grant-in-aid**)

तुलनपत्र में अनुदान की राशि दर्शाई गई है जो कि कार्यालय के अभिलेख के अनुसार सही पाई गई।

(सी) चल दायित्व (**Current Liabilities**)

(i) हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को देय मण्डी शुल्क का 25% हिस्साः–

चार्टड अकाऊटैन्ट द्वारा तुलनपत्र के दायित्व पक्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को देय मण्डी शुल्क का 25**%** हिस्सा ₹12773160.72 दर्शाया गया है जबकि कार्यालय अभिलेख के अनुसार यह हिस्सा ₹12204727.72 बनता है। इस प्रकार चार्टर्ड एकाऊटैन्ट द्वारा उक्त मद में ₹56833/– अधिक दर्शाई गई है।

(ii) दुकानों की प्रतिभूति राशिः–

तुलनपत्र में दर्शाई गई दुकानों की प्रतिभूति की ₹3260394/–मण्डी समिति कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2011–12 की समाप्ति तक मण्डी समिति के पास दुकानों की प्रतिभूति की ₹1835556/– थी। वर्ष 2012–13 में प्रतिभूति की ₹640000/– प्राप्त की गई है। वर्ष 2012–13 में ही प्रतिभूति की ₹74000/– वापिस की गई है। इस प्रकार कार्यालय अभिलेख के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 की समाप्ति तक यह ₹2401556/– बनती है। अतः चाटर्ड अकाउटेंट द्वारा तुलन पत्र में यह ₹858838/– से अधिक दर्शाई गई है।

(iii) प्रतिभूति (अन्य):–

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा इस मद से सम्बन्धित वांन्छित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण इस मद का सत्यापन नही ंकिया जा सकता।

(iv) धरोहर राशि (**Earnest Money**)

धरोहर राशि के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण इस मद का सत्यापन अंकेक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता।

(v) पंजीकरण शुल्कः–

तुलन पत्र में दर्शाई गई ₹2550000/–की पंजीकरण शुल्क की राशि मण्डी समिति के कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही है।

(vi) पंजीकरण शुल्क (अन्य)

वांन्छित अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण इस मद की ₹533453.02 का सत्यापन नहीं किया जा सकता।

(vii) न्यायालय में अनिर्णीत मार्किट फीस से सम्बन्धित मामले के सन्दर्भ में जमा प्रतिभूति राशिः–

मै0 करोल ब्रदर्स की मार्किट फीस का मामला वसूली हेतु जिला समहार्ता शिमला को भेजा गया था, उसके खिलाफ उक्त फर्म ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने इस सन्दर्भ में उक्त फर्म को मूल ₹300000/– कार्यालय में जमा करवाए जाने के निर्देश दिये जोकि कार्यालय के अभिलेख के अनुसार सही है।

(ख) सम्पत्ति पक्ष (**Assets**)

(ए) स्थाई सम्पत्तियां (**Fixed Assets**)

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा चल व अचल सम्पत्ति का कोई भी रजिस्टर न रखे जाने के कारण इन मदों के सत्यापन हेतु कोई अन्य अभिलेख वर्ष 2012–13 के उत्तराकेक्षण की समाप्ति तक भी अंकेक्षण को प्रस्तुत न करने के कारण स्थाई सम्पित्तयों के किसी भी मद की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी।

(बी) चल सम्पतियां (**Current Assets**)

(i) हस्तगत राशि (**Cash in Hand**)

चाटर्ड अकाउटेंट द्वारा तुलनपत्र में हस्तगत राशि शून्य दर्शाई गई है, जबकि कार्यालय अभिलेख के अनुसार ₹1531677/– हस्तगत थी क्योंकि वर्ष 2012–13 के अन्त तक मण्डी समिति मुख्यालय व विभिन्न उपसमितियों में निम्नलिखित राशियाँ हस्तगत थी।

क्र0सं0	मण्डी समिति मुख्यालय व उपसमितियों का नाम	31.3.2013 को हस्तगत राशि
1	उपसमिति, रोहड़ू	1010981
2	उपसमिति, रामपुर	108086
3	उपसमिति, ठियोग	100884
4	उपसमिति, रिकांगपिओ	39853
5	मण्डी समिति मुख्यालय, ढली	264731
6	उपसमिति, नेरवा	6292
7	उपसमिति, कोटी	100
8	उपसमिति, नारकण्डा	750
	कुल योग	**1531677**

(ii) बैंक शेष (**Bank Balance**)

तुलनपत्र के अनुसार बैंक शेष ₹23245859.11 दर्शाया गया है जबकि कार्यालय अभिलेख के अनुसार यह शेष ₹23099857 बनता है। तुलनपत्र के साथ संलग्न विवरण व कार्यालय अभिलेख के मिलान से यह स्पष्ट होता है कि ₹146002/–की भिन्नता निम्नलिखित बैंक से सम्बन्धित है।

बैंक का विवरण	तुलनपत्र में दर्शाई गई राशि	अभिलेख के अनुसार राशि	भिन्नता
पंजाब नैशनल बैंक बलग नेरीपुल	19246	59246	40000
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सन्जौली, शिमला–06	3294082	3294089	7

चैक जो भुनाए नही गए (उचन्ति खाता) (Suspense Account)	186007	00	186007
		कुल शुद्ध भिन्नता	146000
			(186007–40007)
			(4000+7=146000)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा दिनांक 31.3.2012 को बैंक शेष में ₹146002 / –का अधिक से दर्शाई गई है।

(iii) एफ0डी0आर(**F.D.R.**)

चार्टड अकाउंटैंट द्वारा तुलनपत्र में एफ0डी0आर0 की ₹316012419 / – दर्शाई गई है जोकि कार्यालय के अभिलेख के अनुसार सही है।

(सी) ऋण एवं अग्रिमः–

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न ऋण एवं अग्रिम की राशि जो कि तुलन पत्र में समेकित रूप में ₹114312923.72 दर्शाई गई है, का पूर्ण रूप से सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा ऋण एव अग्रिम की कुछ मदों का प्रारम्भ से ही सम्बन्धित खाता वही का रख रखाव न किए जाने तथा तदानुसार ही अंकेक्षण को उपलब्ध न करवाए जाने के कारण इन मदों का सत्यापन करना सम्भव नहीं था। ऋण एवं अग्रिम से सम्बन्धित जो अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध करवाएं गए है उनकी जांच के दौरान निम्नलिखित अभियुक्तियॉ पाई गई।

(i) कर्मचारियों को प्रदत्त अग्रिमः–

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा विभिन्न कर्मचारियो को स्थाई व अस्थाई अग्रिमों की राशि जो चार्टड अकाउटैन्ट द्वारा वार्षिक लेखों के साथ संलग्न **परिशिष्ट–06** में ₹424301 / –दर्शाई गई है जबकि कार्यालय अभिलेख के अनुसार स्थाई व अस्थाई अग्रिमों की कुल ₹427801 / –बनती है। अतः तुलन पत्र में दिनांक 31.3.2013 को कर्मचारियों को प्रदत अग्रिमों की ₹3500 / –कम दर्शाई गई है।

(ii) डिपोजिट कार्यः–

मण्डी समिति कार्यालय द्वारा डिपोजिट कार्य से सम्बन्धित लैजर प्रारम्भ से ही तैयार नहीं किए गए है जिस कारण उक्त मद में दर्शाई गई राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका जिसका वर्णन विगत वर्षों के वार्षिक लेखों की विविाक्षा टिप्पणियों में भी किया गया है।

(iii) खण्ड– विकास अधिकारी को रज्जू मार्ग के निर्माण हेतु प्रदत्त अग्रिम राशिः–

चार्टड अकाउंटैन्ट द्वारा तुलनपत्र में वर्ष 2012–13 में खण्ड विकास अधिकारी को रज्जू मार्ग के निर्माण हेतु ₹600000/–प्रदान की गई की दर्शाई गई है जो कि कार्यालय के अभिलेख के अनुसार सही पाई गई।

(iv) आयकर :–

तुलन पत्र में दर्शाई गई ₹39079022/–भी अभिलेखानुसार पाई गई।

(v) टी. डी. एस.:–

तुलनपत्र में वर्ष 2012–13 में टी. डी. एस. ₹89596/– दर्शाई गई है। मण्डी समिति कार्यालय द्वारा इस मद से सम्बन्धित वांन्छित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण इस मद का सत्यापन नहीं किया जा सकता।

(vi) टी0डी0एस(2012–2013)

तुलनपत्र में वर्ष 2012–13 में टी0डी0एस0 ₹78646/–दर्शाई गई है। मण्डी समिति कार्यालय द्वारा इस मद से सम्बन्धित वांन्छित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत न किए जाने के कारण इस मद का सत्यापन नहीं किया जा सकता।

(vii) प्रतिभूतिः–

तुलनपत्र में दर्शाई गई ₹115930/– की प्रतिभूति राशि का अंकेक्षण द्वारा सत्यापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दर्शाई गई इस प्रतिभूति से सम्बन्धित पूर्व की तरह इस बार भी कोई भी अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(viii) हि0प्र0 आवास बोर्ड को प्रदान की गई राशिः–

तुलनपत्र में दशाई गई ₹1000000/–भी सही है।

(ix) प्रतिभूति दूरभाषः–

तुलनपत्र में दर्शाई गई ₹15000/– दूरभाष प्रतिभूति की अंकेक्षण द्वारा जांच नहीं की जा सकी, क्योंकि दर्शाई गई इस प्रतिभूति से सम्बन्धित इस बार भी कोई अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

<u>आय व व्यय खाता</u>

(क) आयः–

यद्यपि मण्डी समिति कार्यालय द्वारा आय से सम्बन्धित कोई भी वर्गीकृत लैजर तैयार नहीं किए गए है, फिर भी अंकेक्षण द्वारा वर्ष 2012–13 में मण्डी समिति कार्यालय द्वारा विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त आय का सत्यापन किया जा चुका है जिसके आधार पर आय–व्यय खाते में अधिकतर मद कार्यालय अभिलेख अनुसार सही नहीं दर्शाए गए है जिन मदों में भिन्नता पाई गई है, वह निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	मद	आय व व्यय खाते के अनुसार शेष	कार्यालय अभिलेख के अनुसार शेष	भिन्नता/टिप्पणी
1	कम्पाऊड फीस	17487129	17556497	(–) 69368
2	मार्किट फीस	71332175	68989474	(+) 2342701
3	फार्म मूल्य व लाईसैन्स फीस	198245	193470	(+) 4775
4	दुकान किराया	2317102	2301556	(+) 15546
5	विश्राम गृह आय	68594	63835	(+) 4759
6	बैंक द्वारा दिया गया ब्याज व सावधि जमा पर दिया गया ब्याज	24885594	25437942	(–) 552348

7	माप तोल व पार्किंग फीस	569370	576295	(–)6925
8	अन्य आय	601226	1358084	(–)756858
9	जुर्माना	00	13339	(–)13339
			कुल शुद्ध भिन्नता	(+) **968943**

(ख) व्ययः–

आय व व्यय खातें में अधिकतर मद कार्यालय अभिलेख के अनुसार सही नहीं दर्शाए गए है जिन मदों में भिन्नता पाई गई है वे निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	मद	आय व व्यय खाते के अनुसार शेष	कार्यालय अभिलेख के अनुसार शेष	भिन्नता/टिप्पणी
1	वेतन	8263867	8770767	(–)506900
2	मजदूरी	1949860	1927239	(+)22621
3	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	121434	115103	(+) 6331
4	टेलीफोन एवम डाक व्यय	110256	95521	(+)14735
5	बिजली एवम पानी व्यय	600494	617089	(–)16595
6	आर0आर0टी0 व फीस	294126	292266	(+)1860
7	प्रिटिंग एण्ड स्टेशनरी	108287	106239	(+)2048
8	स्टोर, स्टॉक व आर्टिकल	886237	438313	(+)447924
9	पैट्रोल खर्चे	250738	263254	(–) 12516
10	व्हीकल रिपेयर एण्ड मुरम्मत	76881	55047	(+)21834
11	अन्य मुरम्मत पर व्यय	00	118232	(–)118232
12	मशीन एण्ड कम्पयुटर	135240	528333	(–)393093
13	अन्य विविध खर्चे	00	462502	(–)462502
14	25**%** बोर्ड शेयर	22204826	21636493	(+)568333
			कुल शुद्ध भिन्नता	**(–)424152**